प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone&Fax:-0135-253154/253072 E-Mail-eiepwduk@nic.in

Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः–614 / 76यात्रा (क)–उ0 / 2018 दिनांकः 04 जून, 2018

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग,
सहस्त्रधारा मार्ग, कुल्हान,
देहरादून।

विषयः– **मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सडक सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की प्रस्तावित बैठक हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक–2195 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(25)–दो / 2018 दिनांक 16.05.2018**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित है:–

बिन्दु–1. सूचना आपके द्वारा प्रेषित प्रारूप पत्र 'A' पर संलग्न है।

2. जनपदों के मुख्य मार्गों पर साईनेज की स्थिति का विवरण संलग्न है।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सडक सुरक्षा के सम्बन्ध में एस0 राजशेखरन बाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को पारित आदेशों की अनुपालन आख्या संलग्न है।

4. लीड एजेन्सी द्वारा समय–समय पर किये गये स्थल निरीक्षण के उपरान्त इंगित कमियों के सुधार हेतु की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण संलग्न है।

4/6/18

मुख्य अभियन्ता स्तर–।।(मुख्यालय)

मु0अभि0 स्तर–II (मु0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ / सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।

2– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।

3– प्रमुख सचिव / सचिव परिवहन, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।

5– समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 / राष्ट्रीय राजमार्ग को इस आशय से प्रेषित कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों को वर्ष 2020 तक दुर्घटना रहित योग्य किया जाना है, जिस हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की प्रस्तावित बैठक में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स तथा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स इतर दुर्घटना सम्भावित स्थलों का सुधार एवं तद्सम्बन्धित Action Plan (Activity 1 to 15) सम्बन्धित कार्ययोजना प्रेषित की गयी है **(संलग्न)**। कृपया उपरोक्त प्रेषित योजनाओं का अध्ययन करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

6– रीजनल ऑफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों को वर्ष 2020 तक दुर्घटना रहित योग्य किया जाना है, जिस हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की प्रस्तावित बैठक में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स तथा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स इतर

क्रमशः पेज नम्बर 02 पर.....

सम्भावित स्थलों का सुधार एवं तद्सम्बन्धित Action Plan (Activity 1 to 15) सम्बन्धित कार्ययोजना प्रेषित की गयी है। **(संलग्न)** कृपया उपरोक्त प्रेषित योजनाओं का अध्ययन करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

7– श्री आर०सी०अग्रवाल, नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, 9वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।

8– आई०टी० सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु ।

मुख्य अभियन्ता स्तर–।। (मुख्यालय)

प्रारूप–A

बिन्दु – 1

वर्ष 2013, 14, 15, एवं वर्ष 2014, 15, 16 में घटित दुर्घटनाओं की प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति व 30 अप्रैल 2018 तक की अवधि में सुधारीकरण की अद्यतन स्थिति का विवरण।

क्रम संख्या	संस्था का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन	दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अभ्युक्ति
1	3	4	5	6	7	8	9
1	लो०नि०वि०	26	12	26	12	14	DPR Under Progress 01 No. DPR Sent for Sanction 09 No. Safety Audit to be done 04 No
2	लो०नि०वि० एन०एच० विंग	33	2	33	3	30	DPR Under Progress 12 No. DPR Sent for Sanction 03 No. Safety Audit to be done 08 No Work Under Progress 06 No. Work Yet to be commenced 01 No.
3	एनएचएआई	60	18	44	18	42	Work Under Progress 24 No. Work Yet to be commenced 13 No. Alternative By pass Under Progress 04 No. Work Not Fisible 01 No.
4	एन०एच० (यू०पी०)	1	-	-	-	1	
	योग	**120**	**32**	**103**	**33**	**87**	

अधि० अभि० स्तर-II (सु०)

प्रारूप–A

बिन्दु – 1

वर्ष 2013, 14, 15, एवं वर्ष 2014, 15, 16 में घटित दुर्घटनाओं की प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति व 30 अप्रैल 2018 तक की अवधि में सुधारीकरण की अद्यतन स्थिति का विवरण।

क्रम सं0	जनपद का नाम	संस्था का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन	दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देहरादून	लो0नि0वि0	18	7	18	7	11	DPR Sent for Sanction 08 No. Safety Audit to be done 02 No. DPR under progress in Char Dham project 01 No.
		एन0एच0	22	2	22	2	20	DPR Under Progress 12 No. DPR Sent for Sanction 03 No. Safety Audit to be done 04 No Work Under Progress 01 No..
		एनएचएआई	9	2	5	2	7	Work Under Progress 07 No.
योग			**49**	**11**	**45**	**11**	**38**	
2	हरिद्वार	लो0नि0वि0	-	-	-	-	-	-
		एन0एच0	1	-	1	-	1	Work Yet to be Commenced 01 No.
		एनएचएआई	23	8	18	8	15	Work Under Progress 08 No. Alternative By pass Under Progress 02 No. Work Yet to be Commenced 05 No.
		एनएच (यूपी0)	1	-	-	-	1	सूचना अप्राप्त कृपया अपने स्तर से जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति सहारनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करने का कष्ट करें।
योग			**25**	**8**	**19**	**8**	**17**	
3	ऊधमसिंह नगर	लो0नि0वि0	3	1	3	1	2	DPR Sent for Sanction 01 No. Safety Audit to be done 01 No.
		एन0एच0	1	-	1	-	1	Safety Audit to be done 01 No.
		एनएचएआई	24	8	17	8	16	Work Under Progress 08 No. Alternative By Pass Under Progress 02 Work Yet to be Commenced 06 No.
योग			**28**	**9**	**21**	**9**	**19**	

क्रम सं0	जनपद का नाम	संस्था का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन	दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	चमोली	लो0नि0वि0	2	2	2	2	-	-
		एन0एच0	-	-	-	-	-	-
		एनएचएआई	-	-	-	-	-	-
योग			2	2	2	2	0	
5	टिहरी गढवाल	लो0नि0वि0	-	-	-	-	-	-
		एन0एच0	5	-	5	1	4	Work Under Progress 04 No.
		एनएचएआई	-	-	-	-	-	-
योग			5	0	5	1	4	
6	पौडी	लो0नि0वि0	-	-	-	-	-	-
		एन0एच0	1	-	1	-	1	Work Under Progress 01 No.
		एनएचएआई	-	-	-	-	-	-
योग			1	0	1	0	1	
7	अल्मोडा	लो0नि0वि0	-	-	-	-	-	-
		एन0एच0	1	-	1	-	1	Safety Audit to be done 01 No.
		एनएचएआई	-	-	-	-	-	-
योग			1	0	1	0	1	

क्रम सं0	जनपद का नाम	संस्था का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट की संख्या (वर्ष 2013,14,15 एवं 2014,15,16 के अनुसार)	सुधार किये गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	लघुकालीन	दीर्घकालीन	अवशेष ब्लैक स्पॉट की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	नैनीताल	लो0नि0वि0	1	-	1	-	1	Safety Audit to be done 01 No.
		एन0एच0	2	-	2	-	2	Safety Audit to be done 02 No.
		एनएचएआई	4	-	4	-	4	Work Under Progress 01 No. Work Yet to be Commenced 02 No. Not Fisible 01 No.
योग			7	0	7	0	7	
9	पिथौरागढ	लो0नि0वि0	2	2	2	2	-	-
		एन0एच0	-	-	-	-	-	-
		एनएचएआई	-	-	-	-	-	-
योग			2	2	2	2	0	
कुल योग			120	32	103	33	87	

उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य मार्गों पर साईनेज की स्थिति का विवरण।

बिन्दु – 2

PROGRESS

Annexure

Detail for Improving Road Marking and signages.

मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी	मार्ग की कुल लम्बाई किमी० (लक्ष्य)	दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (किमी० में)	Year 2018 (Traget) (Km)	जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी० में)	अप्रैल 2018 तक पूर्ण कार्य	Year 2019 (Traget) (Km)	Year 2020 (Traget) (Km)
NH with State PWD	2091.34	960.00	200.00	50.00	1010.00	400.00	531.34
NH with NHAI	379.96	50.00	150.00	30.00	80.00	100.00	79.96
NH with NHIDCL/BRO	482.80	30.00	150.00	-	30.00	100.00	202.80
Total	**2954.10**	**1040.00**	**500.00**	**80.00**	**1120.00**	**600.00**	**814.10**
State Highways	4521.00	1550.00	800.00	180.00	1730.00	900.00	1271.00
MDR	2152.00	845.00	400.00	130.00	975.00	500.00	407.00
ODR	2651.00	730.00	400.00	150.00	880.00	500.00	1021.00
Total	**9324.00**	**3125.00**	**1600.00**	**460.00**	**3585.00**	**1900.00**	**2699.00**
G.Total	**12278.10**	**4165.00**	**2100.00**	**540.00**	**4705.00**	**2500.00**	**3513.10**

मु०अभि० स्तर–II (मं०)

Hon'ble Supreme Court Directions dated 30-11-2017 (Compliance Report)

Uttrakhand.

Pg-3

S.N.	Directions	Concern Deptt	Compliance
1	**Road Safety Policy:** Most of the State Governments and Union territories have already framed a Road Safety Policy.Those that have not framed such a policy namely Assam, Nagaland, Tripura, Delhi, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands, must now formulate the Road Safety Policy by 31st January, 2018. All State and Union Territories and expected to implement the Road Safety Policy with all due earnestness and seriousness.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
2	**State Road Safety Council:** All States have already constituted a Road Safety Council in terms of Section 2015 of the Motor Vehicles Act, 1988. The Union Territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands have not constituted the Road Safety Council as yet. We direct these Union Territories to constitute the State Road Safety Council on or before 31st January, 2018. The responsibility and functions of the Council will be as recommended by the Committee on Road Safety. The state road safety councils should periodically review the laws and take appropriate remedial steps wherever necessary.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
3	**Lead Agency:** Only a few state have established the Lead Agency as recommended by the Committee on Road Safety and its communication of 23rd December, 2014 . The State and Union Territories that have not done so should establish the Lead Agency on or before 31st January, 2018 in terms of the recommendations made by the Committee on Road Safety. It may be mentioned that the Lead Agency will act as the Secretariat of the State Road Safety Council and coordinate all activities such as licensing issues including issues of driving licences, registration of vehicles, road safety and features of vehicles, along with other allied matters including emission norms and other activities as mentioned in the communication date 23rd December, 2014.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।

क्रमशः पेज नम्बर 02 पर.....

4	**Road Safety Fund:** Some of the States have already established a Road Safety Fund. Those States and Union Territories that have not yet established the Road Safety Fund should do so not later than 31st March, 2018 and report back to the Committee on Road Safety. The corpus of the Road Safety Fund will be from the fines collected for traffic violations and the Fund will be utilized for meeting expenses relating to road safety .	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।

5	**Road Safety Action Plan:** The purpose of a Road Safety Action Plan is to reduce the number of road accidents, as well as the fatality rate. The MoRTH has already requested all the States and Union Territories to prepare a Road Safety Action Plan but it appears that the Response to this has been somewhat lukewarm. The State Governments and Union Territories are therefore directed to urgently prepare a Road Safety Action Plan by 31st March, 2018 and put it into action after giving it due publicity.	All Stake holders	उत्तराखण्ड राज्य हेतु सडक सुरक्षा के अन्तर्गत Road Safety Action Plan (Activity 01 To 15) हेतु किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं अवशेष कार्यों हेतु वर्ष 2020 तक की कार्ययोजना संलग्न है। (संलग्नक–1)

क्रमशः पेज नम्बर 03 पर

6	**District Road Safety Committee:** A District Road Safety Committee is required to be set up by the State Government for every district in terms of Section 215(3) of the Motor Vehicles Act, 1988.As suggested by the learned Amicus and agreed to by the MoRTH, the District Road Safety Committee should be put in place by 31st January, 2018 and should be headed by the Collector of the District and should include amongst others the Superintending of Police, Health Officers, Engineers of the Public Works Department, representatives of the National Highways Authority of India, the Road Transport Officer of the District and members of civil society from the District. The District Road Safety Committee must hold regular and periodic meetings to review road safety issues and take corrective measures.	Transport / DMS	लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपदीय सडक सुरक्षा समिति के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही समय–समय पर की जा रही है।
7	**Engineering Improvement:** It appears that one of the main reasons for road accidents is ther poor quality of roads, improper design, etc. The MoRTH is of the opinion that the protocol for road design and identification of black spots needs to be reviewed and enforced. Accordingly, it is directed that the MoRTH should publish a protocol for identification and rectification of black spots and take necessary steps for improving the design of roads to make them safe.	MoRTH/ PWD	मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार से संशोधित प्रोटोकाल जारी करने की अपेक्षा की गयी है। वर्तमान में राज्य में भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्गत प्रोटोकोल के अनुसार ही ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये। मा0 उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्देशों के अनुपालन में इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–908 / प्रवर्तन / स0सु0 / 178(38) / 2018 दिनांक 23.02.2018 द्वारा सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार से नये प्रोटोकोल की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से नये निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।
8	**Traffic Calming Measures:** It is suggested by the learned Amicus that traffic calming measures must be adopted at accident prone areas. This is agreed to by the MoRTH. However, such measures will need to be studied and then put in place. This is an on-going exercise which must be carried out by the Road Safety Committee with the assistance of the MoRTH and other stakeholders.	MoRTH/ PWD	राज्य में कुल 12278.10 किमी0 लम्बाई की सडकों के सापेक्ष माह अप्रैल, 2018 तक कुल 4705.00 किमी0 सडको पर ट्रैफिक कामिंग उपाय किये जा चुके हैं। अवशेष 7573.10 किमी0 सडकों पर वर्ष 2020 तक कार्यवाही पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। (संलग्नक–1 का बिन्दु संख्या 11)

क्रमशः पेज नम्बर 04 पर.....

9	**Road Safety Audit:** There is agreement, in principle, between the learned Amicus and the MoRTH to carry out Road Safety Audits. However, there appears to be a dearth of qualified auditors in Road Safety Engineering. The MoRTH supports the idea of capacity building. It is, therefore, directed that necessary steps be taken by the Committee on Road Safety as well as by the MoRTH to work in this direction since there can be little doubt that an audit of road safety is essential to reduce the possibility of road accidents through corrective measures.	MoRTH/ PWD	उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों का सेफ्टी ऑडिट किये जाने हेतु पत्र संख्या–66/76याता (क)–उ0/2018 दिनांक 12.01.2018 के अन्तर्गत रोड सेफ्टी ऑडिटर को इम्पैनलमेन्ट कर लिया गया है। उक्त सूची समस्त मुख्य अभियन्ताओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। इसके अतिरिक्त Model RFP भी सभी अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेषित कर दी गयी है, जिस पर कार्यवाही प्रगति पर है। उत्तराखण्ड राज्य के मार्ग की कुल लम्बाई 12278.10 किमी0 के सापेक्ष 4705.00 किमी0 की लम्बाई में अप्रैल, 2018 तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। यह भी अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय से नये मार्गदर्शक बिन्दु प्राप्त होने पर उनका अनुपालन किया जायेगा।
10	**Engineering Design of New Roads:** The MoRTH is of the view, and the learned Amicus is also in agreement, that the Road Safety Audit as mentioned above should include the design stage audit of new road projects of 5 kms or more, rather than being based on the cost of the project. It is ordered accordingly.	MoRTH/ PWD	मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक–80/76 याता (क)–उ0/2018 दिनांक 17.01.2018 के अन्तर्गत 05 किमी0 एवं अधिक के मार्ग निर्माण हेतु नवीन परियोजनाओं के डीपीआर गठन के दौरान रोड सेफ्टी ऑडिटर के सुझावों का अनुपालन किये जाने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिये गये है।
11	**Working Group on Engineering:** The Working Group on Engineering (Roads) has already submitted a Report which is available with the Road Safety Committee as well as the MoRTH. This Working Group was constituted pursuant to the decision taken in the meeting of the 12th National Road Safety Council held on 25th March, 2011. The recommendations of the Working Group should be implemented in the terms prayed for by the learned Amicus as well as those accepted by the MoRTH. These will, of course, be in the nature of interim directions since the National Road Safety Board is likely to be created as proposed in the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017.	MoRTH/ PWD	Working Group of Engineering द्वारा संस्तुत सुझावों का अनुपालन किया जा रहा है। (संलग्नक–2)
12	**Drivers' Training:** This is the subject matter of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017 and no orders are required to be passed in this regard.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।

क्रमशः पेज नम्बर 05 पर.....

13	**Lane Driving:** The MoRTH has already issued Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017 vide G.S.R. 634 (E) dated 23rd June 2017. The Notification should be implemented by the State Governments and Union Territories strictly.	Transport / Traffic Police	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
14	**Road Safety Equipment:** The Bureau of Police research and Training has already prepared a Report on the subject and has submitted it to the Road Safety Committee in September 2015. The recommendations in the Report should be implemented• including acquisition of cameras and surveillance equipments in detecting traffic and identifying violators. It is also necessary to set up special patrol forces along the National Highways and State Highways for which necessary steps must be taken by the State Governments and Union Territories.	Traffic Police	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
15	**Alcohol and Road Safety:** The MoRTH has already written to the States to comply with orders of this Court in this regard. The MoRTH may issue further advisories in this regard on a quarterly basis during the calendar year 2018 so as to serve as a reminder to the State Governments and Union Territories to implement the directions of this Court.	Excise	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
16	**Road Safety Education:** The learned Amicus as well as MoRTH are in agreement that road safety education and counseling should be incorporated in the curriculum by the State Boards by 1st April, 2018. It is directed that the State Governments may seriously consider this recommendation and include Road Safety Education and Counseling as a part of the school curriculum at the earliest.	School Education	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
17	Speed Governors: Guidelines in this regard have already been issued by the MoRTH. The MoRTH has agreed to upload the Unique Identification Number of the speed governors in the VAHAN database. This Should be followed up by the MoRTH with expedition.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।

क्रमशः पेज नम्बर 06 पर.....

18	**Emergency Medical Care:** There is agreement that at least one Trauma Care Centre should be set up in with necessary facilities and an ambulance. The State Governments and Union Territories should take up this recommendation at the earliest since it is on record that treatment soon after a road accident is crucial for saving the life of the victim. In this context, it may also be mentioned that this Court has issued certain directions in ***Pt. Parmanand Katara v. union of india*** which should be followed.	Medical	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
19	**Universal Accident Helpline Number:** The MoRTH has stated that there is already a call center number, that is 108 provided by National Health Mission. Due publicity must be given to this so that an ambulance can be activated at the earliest whenever necessary.	Police / Medical	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
20	**Permanent Road Safety Cell**: All State Governments and Union Territories have already been requested by the MoRTH to set up Road Safety Cells. The State Governments and Union Territories should establish Permanent Road Safety Cells by 31st January, 2018.	MoRTH / PWD	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2017 का पारित निर्णय जो Permanent Road Safety Cell गठित किये जाने के सम्बन्ध में है, जिसके कम में अवगत कराना है, कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–391/76 याता (क)–उ0/ 2017 दिनांक 12 जुलाई, 2017 द्वारा सडक सुरक्षा सेल का गठन किया गया है। उपरोक्त गठित सडक सुरक्षा सेल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों हेतु Road Safety Engineering Cell से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।
21	**Data Collection:** The MoRTH has already taken steps for recording accident data and reports through computerised data entry. The State and Union Territories have been asked to take further action in this regard and make the data public for the information of all stakeholders. This needs to be followed up and no further orders are necessary in this regard.	MoRTH / Police	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।

क्रमशः पेज नम्बर 07 पर.....

22	**GPS:** The MoRTH has already notified vide G.S.R. No. 1095 (E) dated 28th November, 2016 mandating the fitment of vehicle location tracking devices in all public service vehicles subject to some exceptions. Since this has cost implications, the MoRTH may assist the State Governments and Union Territories to ensure that to the maximum extent possible and within the shortest time frame, location tracking devices must be fitted in all public service vehicles as notified.	MoRTH / Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
23	**Bus/Truck—Body Building Code:** This has already been notified by the MoRTH with regard to buses vide G.S.R. No. 287 (E) dated 27th April, 2014 and with regard to trucks vide G.S.R. No. 1034 (E) dated 2nd **November,** 2016. No further orders are necessary in this regard.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
24	**ABS, Air Bags and Headlights:** The MoRTH has already notified for fitment of ABS in motor cycles vide G.S.R. No. 310(E) dated 16th March, 2016 and for four wheelers vide G.S.R. No. 120(E) dated 10th February, 2017. As far as air bags are concerned a standard AIS-145 has already been notified. As regards automated headlights, the MoRTH has notified vide G.S.R. No. 188(E) dated 22nd February, 2016 for fitment of - Automated Headlights On" in two wheelers manufactured on or after 1st apri l 2017 No further orders are required in this regard except the faithful implementation of the various notifications issued by the MoRTH.	Transport	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।
25	**Crash Test:** This too has been notified by the MoRTH and the test for all light motor vehicles is required to be conducted by the testing agency notified under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 No further orders are required in this regard except the faithful implementation of the Notifications and crash standards issued by the MoRTH.	MoRTH	आख्या लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित नहीं है।

अ०अभि० स्तर-II (मु०)

संलग्नक–1

PILLAR 2 : SAFER ROADS AND MOBILITY

State Name - UTTARAKHAND

S. No.	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs in lac)	PROGRESS	Annexure
1	The design standards for Indian roads are contained in the Codes of Practice and Standards of the Indian Roads Congress. Detailed instructions in this regard were issued by the Ministry of Road Transport and Highways vide their Circular No. RW/NH-35072/04/2004-S&R(R) Dated 27th April, 2010. No estimate should be sanctioned by the State Government unless the recommended provisions have been issued.	State PWD	N.A.	(1)- Road Safety Audit cell established vied ENC/HOD, PWD, Uttarakhand letter No.-391/76 यातं (क)–00/2017 dated 12 july, 2017 with comprising One Chief Engineer, One Supertending Engineer & Two Assistant Engineer. (2)- Estimates sent to Govt. are being framed as per IRC & MORD/MORT&H Norms.	
2	Improving Road Marking and signages: All state highways and other roads should have signs and road markings as per IRS standard.	State PWD	@1.00 Lac per kM 12278.00 Lac	Detail for Improving Road Marking and signages.	

मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी	मार्ग की कुल लम्बाई किमी० (लक्ष्य)	दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (किमी० में)	Year 2018 (Traget) (Km)	जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी० में)	Year 2019 (Traget) (Km)	Year 2020 (Traget) (Km)
NH with State PWD	2091.34	960.00	200.00	50.00	400.00	531.34
NH with NHAI	379.96	50.00	150.00	30.00	100.00	79.96
NH with NHIDCL/BRO	482.80	30.00	150.00	-	100.00	202.80
Total	**2954.10**	**1040.00**	**500.00**	**80.00**	**600.00**	**814.10**
State Highways	4521.00	1550.00	800.00	180.00	900.00	1271.00
MDR	2152.00	845.00	400.00	130.00	500.00	407.00
ODR	2651.00	730.00	400.00	150.00	500.00	1021.00
Total	**9324.00**	**3125.00**	**1600.00**	**460.00**	**1900.00**	**2699.00**
G.Total	**12278.10**	**4165.00**	**2100.00**	**540.00**	**2500.00**	**3513.10**

अ०अभि० स्तर–II (मु०)

S. No.	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs in lac)	PROGRESS												Annexure
3	Road Safety Audit and Implementation of Recommendation: RSAs should be done on all State highways and other roads. Implementation or RSA recommendations by devising a safety measures plan should be put in place.	State PWD	Depends on recommendations of RSA & As per DPR	Detail for Road Safety Audit and Implementation of Recommendation.												
				मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी	मार्ग की कुल लम्बाई किमी० (लक्ष्य)	दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (किमी०)		Year 2018 (Traget) (KM)		जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी०)		Year 2019 (Traget) (KM)		Year 2020 (Traget) (KM)		
						Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation	
				NH with State PWD	2091.34	50.00	-	995.72	325.00	300.00	-	674.20	727.95	371.43	1038.39	
				NH with NHAI	379.96	-	-	100.00	80.00	50.00	50.00	150.00	100.00	129.96	199.96	
				NH with NHIDCL/BR	482.80	-	-	150.00	80.00	80.00	-	150.00	150.00	182.80	252.80	
				Total	**2954.10**	**50.00**	**0.00**	**1245.72**	**485.00**	**430.00**	**50.00**	**974.20**	**977.95**	**684.19**	**1491.15**	
				State Highways	4521.00	69.00	69.00	1500.00	400.00	-	-	2000.00	1000.00	952.00	3052.00	
				MDR	2152.00	104.00	104.00	800.00	200.00	150.00	100.00	600.00	500.00	648.00	1348.00	
				ODR	2651.00	383.00	383.00	800.00	200.00	70.00	70.00	600.00	500.00	868.00	1568.00	
				Total	**9324.00**	**556.00**	**556.00**	**3100.00**	**800.00**	**220.00**	**170.00**	**3200.00**	**2000.00**	**2468.00**	**5968.00**	
				G.Total	**12278.10**	**606.00**	**556.00**	**4345.72**	**1285.00**	**650.00**	**220.00**	**4174.20**	**2977.95**	**3152.19**	**7459.15**	
4	Eliminate high risk stretches - Black Spots on State highways and other roads. (On the basis of accident report by Police Department for the year of 2013, 2014, 2015 & 2014, 2015, 2016)	State PWD	Depends on recommendations of RSA & As per DPR	Action Plan for Rectification of Black Spots Enclosed separately on As प्रारूप A												प्रारूप A

अधि० स्तर-II (मु०)

S. No.	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs In lac)	PROGRESS												Annexure
5	Improvement of junctions on State Highways and other roads.	State PWD	Depends on recommendations of RSA & As per DPR	Detail for imporvement of Junction.												
				मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी	मार्ग पर सुधार करने योग्य कुल जंक्शन की संख्या	दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (No.)		Year 2018 (Traget) (No.)		जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (No.)		Year 2019 (Traget) (No.)		Year 2020 (Traget) (No.)		
						Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation	Road Safety Audit	Implementation	
				NH with State PWD	257	-	-	157	-	50	-	100	157	-	100	
				NH with NHAI	सूचना अप्राप्त	-	-	-	-			-	-	-	-	
				NH with NHIDCL/BR	सूचना अप्राप्त	-	-	-	-			-	-	-	-	
				State Highways	740	-	-	200	-	10	-	440	200	100	540	
				MDR	444	-	-	100	-	10	-	344	100	-	344	
				ODR	सूचना अप्राप्त	-	-	-	-			-		-	-	
				Total	**1441**	**0**	**0**	**457**	**0**	**70**	**0**	**884**	**457**	**100**	**984**	
6	Improve lighting on Highways near Habitations.		N.A.	This work is carried out by Municipal Bodies.												
7	Removal of dangerous road side objects.	State PWD		दिसम्बर 2016 तक कुल 259 होर्डिंग्स एवं ऑब्जेक्टस चिन्हित किये गये थे जिन्हे दिसम्बर 2017 तक हटा दिया गया है. वर्तमान में मार्गों पर अन्य चिन्हित होर्डिंग्स की सूचना प्राप्त नहीं है। विवरण निम्नवत है।											
				मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी	मार्गों पर कुल चिन्हित होर्डिंग्स की संख्या वर्ष 2016 तक की प्राप्त सूचना के आधार पर (No.)	दिसम्बर 2017 तक हटाये गये होर्डिंग्स की संख्या (No.)		अप्रैल 2018 में चिन्हित किये गये होर्डिंग्स की संख्या (No.)		दिसम्बर 2018 तक हटाया जाने का लक्ष्य (No.)		वर्ष 2019 में हटाये जाने का लक्ष्य (No.)		वर्ष 2020 में हटाये जाने का लक्ष्य (No.)	
				NH with State PWD	234	234		अप्राप्त		-		-		-		
				NH with NHAI	-	-		अप्राप्त		-		-		-		
				NH with NHIDCL/BRO	-	-		अप्राप्त		-		-		-		
				State Highways	25	25		अप्राप्त		-		-		-		
				MDR	-	-		अप्राप्त		-		-		-		
				ODR	-	-		अप्राप्त		-		-		-		
				योग	259	259				0		0		0		

मु०अभि० स्तर-II (मु०)

S. No	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs in lac)	PROGRESS	Annexure
8	Training for Road Safety: Engineers involved in planning, design, construction and operation of Highways need to be trained on road safety. In addition, consultants, contractors and concessionaires also need to be trained. Facilityy available at the Indian Academy of Highway Engineers(IAHE).	State PWD	300.00	45 Engineers have been trained for Road Safety by (I.A.H.E.). agenist total no of Engineers in PWD = 1274. For training of balance engineers in Kumaun & Garhwal Zone, proposal recieved from C.S.I.R. New Delhi vide latter no CRRI/QSP/ILT/01/1 B 175 date 25.oct.2017 for payment of the institutional fee. expenditure on training programm costing rs 19.70 lac to be approved by lead agency (Road Safety) for vide ENC letter No. 82/76 [illegible] sent to transport commissioner UK	
9	Provision of separate roads for bicycles and non motorised modes on all arterial roads and highways.	State PWD	N.A.	Non motorised modes of transport are not common in hills.	
10	Establish a specialist road safety unit to monitor and improve the safety of road network.	State PWD	N.A.	Road Safety unit as lead agency has been framed. Lead agency is monitoring regularly on all Activities of Road Safety.	
11	Speed calming measures on Highways near inhabited areas. At present, there is insufficient facility for people to crossover from one side to other as a consequence of which large number of pedestrian deaths are taking place in these areas. Provosion of crossover for pedestrian and safety devices like central verge, railing, grills on both sides of the Highways. There is also need for setting speed limits, caution signs, speed calming measures like table top speed breakers, rumble strips on highways particularly on vulnerable	State PWD	@1.00 Lac per km 12278.00 Lac	Detail for Speed Calming Measures on Highways Near inhabited area like Provision for pedestrians and safety devices like central verge, railing,grills on both sides of the Highways (where required), Setting speed limits,caution signs, table top speed breakers,rumbble strips on vulnerable locations.	
12	Installation of speed management measures by way of transition from highway to city traffic.			To be done by Police & Transport Deptt.	

मार्ग की श्रेणी एवं एजेन्सी	मार्ग की कुल लम्बाई किमी० (लाख)	दिसम्बर 2017 तक पूर्ण (किमी० में)	Year 2018 (Traget) (KM)	जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक किये गये कार्य (किमी० में)	Year 2019 (Traget) (KM)	Year 2020 (Traget) (KM)
NH with State PWD	2091.34	960.00	200.00	50.00	400.00	531.34
NH with NHAI	379.96	50.00	150.00	30.00	100.00	79.96
NH with NHIDCL/BRO	482.80	30.00	150.00	-	100.00	202.80
Total	**2954.10**	**1040.00**	**500.00**	**80.00**	**600.00**	**814.10**
State Highways	4521.00	1550.00	800.00	180.00	900.00	1271.00
MDR	2152.00	845.00	400.00	130.00	500.00	407.00
ODR	2651.00	730.00	400.00	150.00	500.00	1021.00
Total	**9324.00**	**3125.00**	**1600.00**	**460.00**	**1900.00**	**2699.00**
G.Total	**12278.10**	**4165.00**	**2100.00**	**540.00**	**2500.00**	**3513.10**

ना०अभि० स्तर-II (मु०)

S. No	ACTIVITY	NODAL AGENCY	RESOURCES REQUIRED (Rs in lac)	PROGRESS	Annexure
13	Providing truck lay bays and providing bus bays and bus shelters along State highways.	State PWD	Nill	Target of truck lay bays and bus shlters requierd as blow NH with NHAI - 9 No NH with State PWD - 33 No Total - 42 No. (i) 9 No. to be covered 4 laning project, work in progress. (ii) 33 No. to be covered with single lane to 2 lane Char Dham Project for which DPR and LA work in progress. To be completed up to December 2020	
14	Wayside amenities for long distance drivers: A large number of accidents happen because long distance drivers do not have wayside amenities for rest and recuperation. There is urgent need to establish these amenities on roadsides at national and other highways because accidents generally happen due to fatigue and over work. Transports need to be	State PWD	Nill	Target of truck lay bays and bus shlters requierd as blow NH with NHAI - 9 No NH with State PWD - 33 No Total - 42 No. (i) 9 No. to be covered 4 laning project, work in progress. (ii) 33 No. to be covered with single lane to 2 lane Char Dham Project for which DPR and LA work in progress. To be completed up to December 2020	
15	Develop a model stretch of Safe highway on an accident prone stretch and evaluate results.	State PWD	Depends on recommendations of RSA	Stretch is being selected during road safety audit.	

मु०अभि० स्तर-II (मु०)

Compliance Report of Working Group on Engineering:-

मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु 25 मार्च 2011 को 12th National Road Safety Council की बैठक के दौरान MoRTH के अन्तर्गत Working Group on Engineering (Road) का गठन किया गया। Working Group on Engineering के पत्रांक–RT-25014 / 03/ 2011-RS, date 11-04-2011 द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। Working group on Engineering द्वारा संस्तुति सुझावों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है–

Sr. No.	Recomndations of the working group of Engineering (Roads)	Compliance Report
1	All National and State Highways should have signages and road markings as per IRC Standerd.	उत्तराखण्ड में मार्गों की कुल लम्बाई का विवरण निम्नवत है: NH with State PWD- 2091.34 km NH with NHAI - 379.96 NH with NHIDCL/BRO- 482.80 **Total 2954.10 km** SH - 4521.00 MDR - 2152.00 ODR - 2651.00 **Total - 12278.10 km** कुल 12278.10 किमी0 लम्बाई के सापेक्ष अप्रैल, 2018 तक 4705.00 किमी0 में Road Marking and Sinages का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है– NH with State PWD- 1010.00 km NH with NHAI - 80.00 km NH with NHIDCL/BRO- 30.00 km **Total - 1120.00 km (A)** SH - 1730.00 km MDR - 975.00 km ODR - 880.00 Km **Total - 3585.00 km (B)** **Grand Total (A+B) 4705.00 km** मार्गों के अवशेष लम्बाई में कार्य 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। (संलग्नक–1)
2	Road Safety Audit for entire National Highways and State Highways network to be completed including capacity bulding for safety auditors such as developing training course content, indentifying institution and imparting tranining.	उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों का सेफ्टी आडिट किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–66 / 76याता(क)–उ0 / 2018 दिनांक 12–01–2018 के अन्तर्गत Road Safety Auditors का इम्पैनलमेन्ट कर लिया गया है। तथा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–207 / 76याता(क)–उ0 / 2018 दिनांक 19–02–2018 द्वारा Model RFP समस्त अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है, जिस पर कार्य प्रगति पर है। उत्तराखण्ड में मार्गों की कुल लम्बाई का विवरण निम्नवत है: NH with State PWD- 2091.34 km NH with NHAI - 379.96 NH with NHIDCL/BRO- 482.80 **Total 2954.10 km** SH - 4521.00 MDR - 2152.00 ODR - 2651.00 **Total - 12278.10 km**

क्रमशः पेज नम्बर 02 पर.....

		कुल 12278.10 किमी0 लम्बाई के सापेक्ष अप्रैल, 2018 तक 556.00 किमी0 में Road Safety Audit का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है– NH with State PWD- 350.00 km NH with NHAI - 50.00 km NH with NHIDCL/BRO- 80.00 km **Total - 480.00 km (A)** SH - 69.00 km MDR - 254.00 km ODR - 453.00 Km **Total - 776.00 km (B)** **Grand Total (A+B) 1256.00 km** NH & State PWD के सम्पूर्ण मार्गों पर Road Safety Audit वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। यह भी अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा Reviewed किये जाने के पश्चात नवीन मार्ग दर्शक Guide line प्राप्त होने के पश्चात निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। Group on Engineering द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार परियोजनाओं को Road Safety Consultants द्वारा Reviewed किया जा रहा है तथा उनके द्वारा दिये गये आवश्यक Corrective Measures का अनुपालन भी किया जा रहा है। उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 1274 अभियन्ताओं के सापेक्ष अभी तक 45 अभियन्ताओं को Indian Academy of Highway Engineers (IAHE) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है। अवशेष अभियन्ताओं के (Road Safety) प्रशिक्षण हेतु CRRI (Central Road Research Institute) दिल्ली द्वारा से प्रस्ताव प्राप्त किया गया। CRRI द्वारा रूपये 19.70 लाख की धनराशि की मांग प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–82/78यात्रा (क)–उ0/2018 दिनांक 18.01.2018 द्वारा आपको स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है, उक्त धनराशि के प्रस्ताव पर अभी तक स्वीकृति प्राप्त नही हुई है, वांछित धनावंटन के पश्चात Training हेतु वांछित प्रकिया की जा सकेगी।
3	Review of Standards/ Guidelines & Evolving New Guidelines with safety focus for NHs & SHs and Developing manuals on traffic control devices.	Indian Road Congress / MoRTH/ MoRD द्वारा प्रतिपादित Standards/Spacifications के अनुसार मार्गों पर Road Safety Measures की कार्यवाही की जाती है। समय–समय पर IRC द्वारा मानकों को संशोधित किया जाता है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार आवश्यकतानुसार प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड द्वारा परिपत्र निर्गत किये जाते हैं, जिसका अनुपालन किया जाता है।
4	Implimentation of other road safety engineering like speed management measures, provision of service roads, provision of padestiains/ cattle crossings, improvement of inter-state	Road Safety मानकों के अनुसार Speed management हेतु Safety Devices जैसे Rumble Strips / Table Top Speed Breakers, Speed Limit Caution Signages, Informatory Retro-Reflective Sign Boards, Road Marking, आदि

क्रमशः पेज नम्बर 03 पर.....

	Implimentation of other road safety engineering like speed management measures, provision of service roads, provision of padestiains/ cattle crossings, improvement of inter-state border checkposts on NHs, Provision of truck lay bays along NHs and provision of bus bay's, bus shelter along NHs and closure of unauthorized median openings.	उत्तराखण्ड राज्य के मार्ग की कुल लम्बाई 12278.10 किमी0 के सापेक्ष 4705.00 किमी0 की लम्बाई में अप्रैल, 2018 तक पूर्ण कर ली गयी है, अवशेष लम्बाई में कार्य वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। NH with State PWD- 1010.00 km NH with NHAI - 80.00 km NH with NHIDCL/BRO- 30.00 km **Total - 1120.00 km (A)** SH - 1730.00 km MDR - 975.00 km ODR - 880.00 Km **Total - 3585.00 km (B)** **Grand Total (A+B) 4705.00 km** अन्य Road Safety Measures जैसे Service Road, Truck/Bus lay bays की कार्यवाही प्रगति पर है, 09 Truck/Bus lay bays का निर्माण कार्य, four lane परियोजना के अन्तर्गत प्रगति पर है तथा 33 Truck/Bus lay bays हेतु चार धाम परियोजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है, जिसे वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। सडक सुरक्षा के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों की सडकों पर निर्मित Unauthorized median openings को बन्द कर दिया गया है।
5	Engineer envolved in planning, designing, construction and opration of highways to be trained in road safety including development of training modules, identifications of training in engineering measures.	उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कुल 1274 अभियन्ताओं के सापेक्ष अभी तक 45 अभियन्ताओं को Indian Academy of Highway Engineers (IAHE) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है। अवशेष अभियन्ताओं के (Road Safety) प्रशिक्षण हेतु CRRI (Central Road Research Institute) दिल्ली द्वारा से प्रस्ताव प्राप्त किया गया। CRRI द्वारा रूपये 19.70 लाख की धनराशि की मांग की गयी है, उक्त धनराशि के प्रस्ताव पर अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, वांछित धनावंटन के पश्चात Training हेतु वांछित प्रकिया की जा सकेगी।
6	Thrust on Research on road safety including setting up few Centres of Excellence.	IRC एवं MoRTH द्वारा Road Safety हेतु अनुसंधान एवं समय–समय पर संशोधित Road Safety Code निर्गत किये जाते हैं।
7	Accident Analysis for Corrective actions.	पुलिस विभाग एवं जनपदीय सडक सुरक्षा समिति द्वारा दुर्घटना स्थलों/दुर्घटना सम्भावित स्थलों का Accident Analysis किया जाता है।

मु0अभि0 स्तर–II (मु0)

लीड एजेन्सी उत्तराखण्ड द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण एवं अनुपालन आख्या।

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला	1. बाईपास रोड होटल सॉलिटियर के समीप, बाईपास रोड देहरादून		1- इस स्थान पर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, दोनों रम्बल स्ट्रिप में 10-10 पट्टियां लगायी गयी हैं, जिसमें पेन्ट नहीं किया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय। ताकि यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।	1. वर्तमान में इस स्थान पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा यातायात सर्विस लेन पर धीमी गति से चल रहा है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्रांक-1288/ससु0/1-8 (34)/2017 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्राप्त। जिसे अनुपालन किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून को ई मेल आईडी पर 27.03.2017 को प्रेषित किया गया। तथा अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक-5357/11सी0 (1) दिनांक 16.10.2017 द्वारा अनुस्मरण हेतु प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक- 1784/1 सी0 दिनांक 12.06.2017 एवं पत्रांक- 4073/1 सी0 दिनांक 15.12.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।
					2- सम्बन्धित स्थान पर हल्का कर्व होने के कारण दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है। सूचना पट्ट लगाया जाना उपयुक्त होगा।	2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला	2. मोथरोवाला चौक, बाईपास रोड, नेहरू कॉलोनी		1- इस स्थल पर दोनों ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, दोनों रम्बल स्ट्रिप में 10-10 पट्टियां लगायी गयी है, जिसमें पेन्ट नहीं किया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय।	1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602 / प्रवर्तन / सस0 / 1-8 (35) / 2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक 821 / कार्यालय (क)-30 / 2017 दिनांक 13.10.2017 तथा का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक- 756 / 1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।
					2- सम्बन्धित स्थल पर यद्यपि रम्बल स्ट्रिप होने का संकेतक चिन्ह लगा हुआ पाया गया परन्तु "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से संकेतक चिन्ह लगाया जाना उपयुक्त होगा।	2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है।	
					3- यद्यपि इस स्थान पर चौड़ाई पर्याप्त है परन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से जंक्शन को बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना उचित होगा।	3. इस स्थान पर जंक्शन को बढ़ाये जाने के लिये DPR MoRT&H को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
3	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला	3. सरस्वती विहार चौक, बाईपास रोड		1- इस स्थल पर दोनों ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये है परन्तु रम्बल स्ट्रिप में 10-10 पट्टियां लगायी गयी हैं जिनमे पेन्ट नहीं किया गया है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।	1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602/प्रवर्तन/सम्प्र0/1-6 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक-821/76याता (क)-30/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक- 756/1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।
					2- स्थल पर रम्बल स्ट्रिप होने व "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में संकेतक चिन्ह लगा हुआ नहीं पाया गया, अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप होने के संकेत चिन्ह लगाया जाए।	2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है।	
					3- हरिद्वार बाईपास रोड से आईएसबीटी की ओर जाने वाले मार्ग पर दो रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं, जो पुलिया से पूर्व बनाये गये हैं, जबकि एक रम्बल स्ट्रिप पुलिया के बाद बनाया जाना था। अतः सड़क सुरक्षा की दृष्टि से पुलिया से पूर्व बनाये गये रम्बल स्ट्रिप को पुलिया के बाद बनाया जाना उपयुक्त होगा।	3. तिराहे पर मार्ग के दोनो ओर रम्बल स्ट्रिप बना दिये गये है।	
					4- सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है, अतः संकेतक चिन्ह लगाया जाना उपयुक्त होगा।	4. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है।	
					5- पुलिया संकरी होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। अतः सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा दिवार बना कर पुलिया को स्लैब से कवर करते हुये दोनों ओर मार्ग को लगभग 03 मी0 चौड़ा किया जाना उपयुक्त होगा।	5. इस स्थान पर सुरक्षा दीवार बनाकर मार्ग की चौड़ाई बढ़ा दी गई है।	
4	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला	4. पुरानी चौकी बाईपास चौक		1- इस स्थल पर दोनों ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये हैं परन्तु रम्बल स्ट्रिप होने का संकेतक चिन्ह लगा हुआ नहीं पाया गया। दोनों रम्बल स्ट्रिप में 10-10 पट्टियां लगायी गयी हैं जिनमें पेन्ट नहीं किया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप होने का संकेत चिन्ह लगाये जाये तथा रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय।	1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602/प्रवर्तन/सम्प्र0/1-6 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक-821/76याता (क)-30/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक- 756/1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त
					2- सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से संकेतक लगाया जाना उपयुक्त होगा।	2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
5	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोइवाला	5. शिमला बाईपास चौक पटेल नगर		1- इस स्थल पर मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक लाईट के दोनों ओर देहरादून की ओर आने व आईएसबीटी की ओर जाने वाले मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये है। रम्बल स्ट्रिप में 10-10 पट्टियां लगायी गई है जिनमें पेन्ट नही किया गया। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराये जाय।	1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602 / प्रवर्तन / सम्0 / 1-8 (36) / 2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक-821 / 76याता (क)-उ0 / 2017 दिनांक 13.10.2017 वाला का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक- 756 / 1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।
					2- सम्बन्धित स्थल पर ट्रैफिक लाईट चालू अवस्था में नही पायी गयी।	2. ट्रैफिक लाईट चालू कर दी गयी है।	
					3- शिमला बाईपास रोड की ओर से शहर की ओर आने वाले मार्ग पर ट्रैफिक लाईट के पास नाले के ऊपर पैम्बर सडक की सतह से उठे हुए पाये गये है, साथ ही सडक पर गड्ढे पाये गये जो कभी भी दुर्घटना के कारण बन सकते है। सम्बन्धित कार्य कराया जाना आवश्यक है।	3. सम्बन्धित नाले के उपर की स्लैब ठीक कराते हुये गड्ढे भर दिये गये है।	
					4- शिमला बाईपास रोड की ओर से देहरादून शहर की ओर आने वाले मार्ग पर सडक पर दुकान के स्वामी द्वारा सडक पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए इलैक्ट्रानिक सामान व कूलर आदि रखे पाये गये है। साथ ही सडक के किनारे दूरसंचार विभाग के पोल को सडक पर तिरछा लेटाकर उसको सीमेन्ट / कोलतार से ढका हुआ पाया गया जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। जिन्हे हटाया जाना आवश्यक है।	4. सडक से अनाधिकृत दुकानों का सामान हटवा दिया गया है। सडक से दूरसंचार विभाग के पोल को हटाने हेतु सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है।	
					5- सम्बन्धित स्थान पर ही बायी तरफ वैस्टर्न ब्लू बार के आस-पास सडक के किनारे नाला खुला हुआ पाया गया, जिसे कवर किया जाना आवश्यक है। साथ ही सडक पर बिजली के एक पोल को सडक से हटाकर पीछे स्थापित किया जाना आवश्यक है। सडक सुरक्षा की दृष्टि से उक्त कार्य कराये जाने आवश्यक होंगे।	5. खुले हुये नाले को कवर कर दिया गया है तथा सम्बन्धित विभाग को बिजली के पोल हटा कर पीछे स्थापित किये जाने को लिख दिया गया है।	

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
6	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोईवाला	6. राघवनवाला चुंगी आईएमए के पास		1- इस स्थल पर टोन्ड और रम्बल स्ट्रिप बनाये गये है, परन्तु रम्बल स्ट्रिप मे 5-5 पट्टिका लगायी गयी है, जो आईआरसी की गाईड लाईन्स के मानकों के अनुसार नही पायी गयी तथा उनमें पेन्ट भी नही पाया गया। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप मानकों के अनुसार बनायी जाय तथा रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाए, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।	1. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक- 1602/प्रवर्तन/सस0/1-8 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 का पत्रांक- 821/76यातो (क)-30/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक- 756/1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।
					2- स्थल पर रम्बल स्ट्रिप होने के सम्बन्ध मे सकेंतक चिन्ह लगा हुआ पाया गया, परन्तु "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध मे कोई सूचनापट्ट नही लगाया गया है। अतः उपयुक्त होगा कि सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध मे सूचना पट्ट लगाया जाए।	2. रम्बल स्ट्रिप मानकों के अनुसार ठीक कर थर्मोप्लास्टिक पेंट कर दिया गया है।	
					3- सम्बन्धित स्थल पर (देहरादून से प्रेमनगर की ओर जाते हुए) तिराहे पर बायी ओर छावनी परिषद, देहरादून का टोल टैक्स बैरियर, जो कि मुख्य सडक पर ही स्थापित है, जिसके सामने की ओर एक नाला खुली हुयी स्थिति मे पाया गया साथ ही टोल टैक्स बैरियर के पास व सामने सडक पर पेड एवं बिजली का पोल लगा पाया गया। सम्बन्धित स्थल पर मार्ग मे वर्व होने एवं उपरोक्त कारणों से सम्बन्धित स्थल पर कभी भी दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। अतः टोल-टैक्स बैरियर को अन्यत्र स्थापित करने व सम्बन्धित स्थल पर स्थापित पेडों की लोपिंग/कटिंग एवं नाले का कवर किये जाने की आवश्यकता है।	3. टोल टैक्स बैरियर को अन्यत्र स्थापित करने तथा पेडो की लोपिंग/कटिंग एवं बिजली के पोल हटाने हेतु सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है।	
7	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोईवाला	7. पीर बाबा मोड, देहरी चौक, प्रेमनगर		1- इस स्थल पर एक और रम्बल स्ट्रिप बना पाया गया , रम्बल स्ट्रिप मे 10 पट्टिका लगायी गयी है। रम्बल स्ट्रिप पर पेन्ट नही किया गया है, जिससे उक्त रम्बल स्ट्रिप दृष्टिगोचर नही है, और न ही पूर्व मे ढलान से उतरते वाहन के लिये गति अवरोधक होने का कोई सूचना पट्ट लगाया गया है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मो-प्लास्टिक पेन्ट कराया जाय तथा गति अवरोधक होने का सूचना पट्ट लगाया जाए, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके।	1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट करा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक- 1602/प्रवर्तन/सस0/1-8 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 का पत्रांक-821/76यातो (क)-30/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2018 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला का पत्रांक- 756/1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।
					2- लो0नि0वि0 द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार सम्बन्धित स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी मे आता है परन्तु स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध मे कोई सूचना पट्ट नही लगाया गया है। सडक सुरक्षा की दृष्टि से सकेंतक चिन्ह लगाया जाना उपयुक्त होगा।	2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है।	
					3- इस स्थान पर मार्ग की चौडाई पर्याप्त नही है तथा बाईन्ड होने के कारण सम्भवतः इस स्थल पर दुर्घटनायें अधिक होती है। अतः उक्त मोड के स्थापित कर्व की कटिंग करते हुये लाभ लिया जा सकता है।	3. सम्बन्धित स्थल के सुधार हेतु 4 lane चौडीकरण हेतु DPR Consultancy का कार्य प्रगति पर है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
8	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, सहारनपुर	8. लॉ कॉलेज के सामने, प्रेमनगर		1- इस स्थल पर दोनों ओर रम्बल स्ट्रिप बनाये गये है, तथा दोनों रम्बल स्ट्रिप में 10-10 पट्टियां लगायी गयी है, जिनमें पेन्ट नहीं किया गया है। रम्बल स्ट्रिप होने का सकेतक चिन्ह लगा हुआ पाया गया। परन्तु दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट लगा नहीं पाया गया। अतः उपयुक्त होगा कि रम्बल स्ट्रिप पर थर्मो-प्लास्टिक पेन्ट कराया जाय तथा "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" सम्बन्धित सूचना पट्ट लगाया जाए, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।	1. रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है। इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट्ट लगा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-1602/प्रवर्तन/मसु0/1-8 (35)/2017 दिनांक 15 अप्रैल 2017 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 का पत्रांक-821/रा0मा0 (क)-30/2017 दिनांक 13.10.2017 उक्त का अनुस्मरण 28.11.2016 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग कोई0वा0 का पत्रांक- 756/1 सी0 दिनांक 30.11.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।
					2- सम्बन्धित स्थल पर स्कूल/ कॉलेज है सम्बन्धी सूचनापट्ट तिरछा पाया गया । जिसे ठीक कराया जाना होगा।	2. इस स्थान पर स्कूल/कॉलेज है का सूचना पट्ट ठीक करा दिया गया है।	
					3- सम्बन्धित स्थल के पास सड़क के किनारे पेड़ पाया गया, जिसका कटान किये जाने की आवश्यकता है।	3. पेड़ की लोपिंग/कटिंग हेतु सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है।	
					4- सम्बन्धित स्थल पर कॉलेज के सामने कतिपय स्थानों पर नाला खुला हुआ पाया गया जो दुर्घटना का कारण हो सकता है। अतः नाले को कवर किया जाना आवश्यक है।	4. खुले हुये नाले को कवर करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।	
9	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून	9. मैसी चाईल्ड, मसूरी रोड देहरादून		1- इस स्थल पर दो रम्बल स्ट्रिप बनाये गये है। एक रम्बल स्ट्रिप मैसी चाईल्ड पर स्थित दुकानों से पहले मसूरी की ओर तथा दूसरा रम्बल स्ट्रिप दुकानों के पश्चात मोड़ समाप्त होने के बाद देहरादून की ओर।	1-कार्य पूर्ण।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्रांक-1286/मसु0/1-8 (34)/2017 दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्राप्त। जिसे अनुपालन किया जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून को ई मेल आईडी पर 27.03.2017 को प्रेषित किया गया। तथा अधिशासी अभियन्ता, नवम् कृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक-5357/11सी0 (1) दिनांक 16.10.2017 द्वारा अनुस्मरण हेतु प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक- 1784/1 सी0 दिनांक 12.06.2017 एवं पत्रांक- 4073/1 सी0, दिनांक 15.12.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।
					2- स्थापित किये गये दोनों रम्बल स्ट्रिप में पूर्व में बनायी गयी 8-8 पट्टियां लगायी गयी है। अधिशासी अभियन्ता के अनुसार मसूरी की ओर बनाये गये रम्बल स्ट्रिप पर सामान्य पेन्ट किया गया था परन्तु वह वाहनों के आवागमन के कारण खराब हो गया है।	2- स्थापित किये गये दोनों रम्बल स्ट्रिप में पूर्व में बनायी गयी 8-8 पट्टियां के स्थान पर 15-15 पट्टियां लगा दी गयी है। जिन पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट किया गया है।	
					3- रम्बल स्ट्रिप से पूर्व लगाया गया सूचना पट्ट भी दर्शनीय स्थान पर नहीं लगाया गया है और न ही रात्रि के समय अथवा तीव्र गति से आते वाहन को उक्त रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय है। अतः उपयुक्त होगा कि उक्त स्थान पर पर्याप्त सूचना पट्ट लगाये जाय, एवं रम्बल स्ट्रिप पर इस प्रकार की पेन्टिंग की जाय कि उन्हें दिन व रात्रि में देखा जा सके।	3- उक्त स्थल पर सूचना पट्ट एवं रम्बल स्ट्रिप लगा दिये गये है जिन्हें दिन एवं रात्रि के समय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।	
					4- देहरादून की ओर बनाये गये रम्बल स्ट्रिप से पूर्व सड़क पर सफेद मार्किंग नहीं की गयी, जिससे उक्त रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नहीं है, और न ही चढ़ाई से उतरते वाहन के लिये गति अवरोधक होने का कोई सूचना पट्ट ही लगाया गया है।	4- देहरादून की ओर बनाये गये रम्बल स्ट्रिप से पूर्व सड़क पर थर्मो- प्लास्टिक पेन्ट की गयी है, जिससे उक्त रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय हो गया है तथा चढ़ाई से उतरते वाहन के लिये गति अवरोधक होने का सूचना पट्ट भी लगा दिया गया है।	
					5- लो0नि0वि0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार उक्त स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है परन्तु स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है।	5- लो0नि0वि0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार उक्त स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है जिस पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना पट्ट भी लगा दिया गया है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड लोनिवि0 देहरादून	9– मेगी पाईन्ट, मसूरी रोड, देहरादून		6– यद्यपि इस स्थान पर मार्ग की चौड़ाई पर्याप्त है परन्तु एक ब्लाईण्ड मोड होने के कारण सम्भवतः इस स्थल पर दुर्घटनायें अधिक होती है। अतः यदि उक्त मोड के पास स्थापित कर्व की थोडी कटिंग कर दी जाय तो इसका लाभ हो सकता है।	6– ब्लाईण्ड मोड के पास स्थापित कर्व की कटिंग कर दी गयी है।	
					7– यह भी अवगत कराना है कि स्थल स्टिप के नजदीक सीमेन्ट का धारक दीवार टूटा हुआ पाया गया है,जिस पर दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अतः लोनिवि0 द्वारा उस स्थान पर शीघ्र ही धारक दीवार का निर्माण किया जाना आवश्यक है।	7– लोनिवि0 द्वारा उक्त स्थल पर टूटी हुयी धारक दीवार का निर्माण कर दिया गया है।	
10	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड लोनिवि0 देहरादून	10– शिव रत्न केन्द्र, (शिव मन्दिर) मसूरी रोड, देहरादून		1– इस स्थल पर शिव रत्न केन्द्र मन्दिर के पश्चात देहरादून की ओर एक रम्बल स्ट्रिप बनायी गयी है।	1– कार्य पूर्ण।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्रांक–1288 / सड़क / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्राप्त। जिसे अनुपालन किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोनिवि0 देहरादून को ई मेल आईडी पर 27.03.2017 को प्रेषित किया गया। तथा अधीक्षण अभियन्ता, नगर मुख्य, लोनिवि0 देहरादून का पत्रांक–5357 / 11सी0 (1) दिनांक 16.10.2017 द्वारा अनुस्मरण हेतु प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोनिवि0 देहरादून का पत्रांक– 1784 / 1 सी0 दिनांक 12.06.2017 एवं पत्रांक– 4073 / 1 सी0, दिनांक 15.12.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।
					2– स्थापित किये गये रम्बल स्ट्रिप में 8 पट्टियां लगायी गयी है।	2– स्थापित किये गये दोनों रम्बल स्ट्रिप में पूर्व में बनायी गयी 8–8 पट्टियों के स्थान पर 15–15 पट्टियां लगा दी गयी है। जिन पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट किया गया है	
					3– रम्बल स्ट्रिप से पूर्व सड़क पर सफेद मार्किंग नहीं की गयी है, जिससे उक्त रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नहीं है, और न ही चढ़ाई से उतरते वाहन के लिये गति अवरोधक होने का कोई सूचना पट्ट ही लगाया गया है।	3– उक्त स्थल पर सूचना पट्ट एवं रम्बल स्ट्रिप लगा दिये गये है जिन्हें दिन एवं रात्री के समय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।	
					4– लोनिवि0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार उक्त स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है, परन्तु स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है।	4– लोनिवि0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार उक्त स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है जिस पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में सूचना पट्ट भी लगा दिया गया है।	
11	देहरादून	प्रान्तीय खण्ड लोनिवि0 देहरादून	11 किशन नगर चौक के पास, चकराता रोड, देहरादून		1– चकराता रोड पर यमुना कालोनी एवं किशन नगर चौक के मध्य 01 रम्बल स्ट्रिप बनायी गयी है।	कार्य पूर्ण	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का निरीक्षण टिप्पणी पत्रांक–1288 / सड़क / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्राप्त। जिसे अनुपालन किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोनिवि0 देहरादून को ई मेल आईडी पर 27.03.2017 को प्रेषित किया गया। तथा अधीक्षण अभियन्ता, नगर मुख्य, लोनिवि0 देहरादून का पत्रांक–5357 / 11सी0 (1) दिनांक 16.10.2017 द्वारा अनुस्मरण हेतु प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोनिवि0 देहरादून का पत्रांक– 1784 / 1 सी0 दिनांक 12.06.2017 एवं पत्रांक– 4073 / 1 सी0, दिनांक 15.12.2017 द्वारा आख्या प्राप्त।
					2– स्थापित किये गये रम्बल स्ट्रिप में 8 पट्टियां लगायी गयी है।	कार्य पूर्ण	
					3– उक्त स्थल पर स्थापित रम्बल स्ट्रिप प्लास्टिक मैटीरियल की लगायी गयी है, जिसकी मोटाई 1 सेमी है। रम्बल स्ट्रिप पर यद्यपि सफेद रंग से मार्किंग की गयी है, परन्तु ट्रैफिक के कारण वे दर्शनीय नहीं रह गयी है।	कार्य पूर्ण	
					4– मार्ग पर वाहन के लिये गति अवरोधक होने का कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है।	कार्य पूर्ण	
					5– लोनिवि0 द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार उक्त स्थल ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है, परन्तु स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" के सम्बन्ध में कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है।	कार्य पूर्ण	
					6– यह स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित है। उक्त स्थल के पास ही मुख्य सड़क से एक साइड लेन निकली है। नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर रम्बल स्ट्रिप नहीं लगायी जाती है अपितु साइड लेन में ही रम्बल स्ट्रिप लगायी जानी चाहिये।	कार्य पूर्ण	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
12	देहरादून	एन0एच0एआई0 देहरादून	12. मियावाला पुल के पास		1. सम्बन्धित स्थल पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / सा0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–00/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
					2. लिंक मार्ग मियावाला पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये गये, जो सुरक्षा की दृष्टी से आवश्यक है।		
					3. सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके व सम्बन्धित जंक्शन की बाईंडिंग किया जाना आवश्यक है।		
					4. सम्बन्धित स्थल पर यातायात के दबाव को देखते हुये नियमित रूप से यातायात को नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस की आवश्यकता प्रतीत होती है।		
					5. लिंक रोड के किनारे सड़क पर विद्युत पोल लगा पाया गया, जिसे हटाया जाना आवश्यक है।		
					6. मार्ग पर मानकों के अनुरूप कोई सूचनात्मक / चेतावनी का संकेतक चिन्ह नहीं पाया गया।		
13	देहरादून	एन0एच0एआई0 देहरादून	13. कुआवाला जनबीट चौकी के पास		1. सम्बन्धित स्थल पर डोईवाला की ओर जाते हुये बाईं ओर विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर हेतु हट बनाई गयी है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / सा0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–00/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
					2. मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग नहीं किया गया, इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि सड़क का चौड़ीकरण करते हुये सम्बन्धित कार्य करा लिया जायेगा।		
					3. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं पाया गया, जो लगाया जाना आवश्यक है।		
					4. डोईवाला से देहरादून की ओर आने वाली सड़क के किनारे पर बजरी /मलवा पड़ा हुआ पाया गया, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना है।		
					5. सड़क पर जगह–जगह गड्ढे पाये गये जो दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।		

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
14	देहरादून	एन०एच०ए०आई० देहरादून	14. हर्रावाला पुलिस चौकी के पास लक्ष्मण सिद्ध मन्दिर मोड डोईवाला		1. लक्ष्मण सिद्ध मन्दिर की ओर जाने वाले लिंक मार्ग पर स्पलट स्ट्रिप व क्रैश बाईज स्थापित किया जाना आवश्यक है।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रदर्शन / सा०सु० / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा०मा० लो०नि०वि० तथा अधिशासी अभियन्ता रा०मा० लो०नि०वि० डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927 / 76 याता(क)–का / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
					2. मुख्य मार्ग पर सीधे कर्जा फिले बिल्डिंग के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।		
					3. आबादी क्षेत्र की तरफ गति सीमा का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।		
					4. सम्बन्धित स्थल पर 100 मीटर के अन्दर सड़क पर गड्ढे पाये गये जिन्हें तत्काल भराया जाना आवश्यक है।		
15	देहरादून	एन०एच०ए०आई० देहरादून	15. फतेहपुर चौक, हरिद्वार रोड, लालतप्पड़		1. सम्बन्धित स्थल आबादी वाला क्षेत्र है, निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रदर्शन / सा०सु० / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा०मा० लो०नि०वि० तथा अधिशासी अभियन्ता रा०मा० लो०नि०वि० डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927 / 76 याता(क)–का / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
					2. सम्बन्धित स्थल पर पुलिया का निर्माण अधूरा पाया गया तथा नाले में पानी का भराव पाया गया, सम्बन्धित स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई क्रैश बोर्ड / बैरियर नहीं लगा गया है, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना है।		

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/मैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
16	देहरादून	एन0एच0ए0आई0 देहरादून	16. निकट पी0एन0बी0 बैंक, हरिद्वार मुख्य मार्ग, लालतापड		1. सम्बन्धित स्थल पर वर्तमान में कॉरलाईन मार्ग बन जाने के कारण दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र नहीं पाया गया। फिर भी आबादी का क्षेत्र होने के कारण निर्धारित गति सीमा व चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553/प्रवर्तन / सा0सु0/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-927/76 बाता(क)-30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
					2. सम्बन्धित स्थल पर सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से विज्ञापन बोर्ड लगा पाया गया, जिसे तत्काल हटाया जाना आवश्यक है।		
17	देहरादून	एन0एच0ए0आई0 देहरादून	17. छिद्दरवाला रायवाला		1. सम्बन्धित स्थल पर डाकपत्थर की ओर सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण पाया गया, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी हुयी है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553/प्रवर्तन / सा0सु0/1-8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-927/76 बाता(क)-30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
					2. दायीं ओर सड़क पर निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया। सड़क पर साईनेज बोर्ड नहीं लगे पाये गये।		
					3. लिंक छिद्दरवाला मार्ग पर ब्रेकर नहीं पाये गये जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है।		
					4. मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा वाले पीले बिलिंकर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।		
					5. सड़क के किनारे बायीं ओर विद्युत पोल हटाया जाना होगा।		
					6. घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण सम्बन्धित स्थल पर निर्धारित गति सीमा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक था जो नहीं लगाया गया है।		
					7. सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर पुलिया का कार्य अपूर्ण होने के कारण कॉरलाईन का यातायात का दबाव एक ही मार्ग पर आ जाने व वाहनों का संचालन तेज रफ्तार में होने से दुर्घटना की सम्भावना बनी हुयी है। अतः दोनों ओर पुलिया का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।		

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
18	देहरादून	एन0एच0ए0आई0 देहरादून	18 सत्यनारायण मन्दिर रायवाला (लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल निरीक्षण आख्या)		1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप नहीं पाये गये हैं।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / सा0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त म0म0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता म0म0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं अधिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 माता(क)–30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
					2. हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क की बायीं ओर वन विभाग की चौकी सरखण में पायी गयी है, जिसे हटाये जाने हेतु कार्यवाही की जाय।		
					3. सम्बन्धित स्थल पर सड़क पर डिवाईडर नहीं बनाये गये हैं, जिससे दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है।		
					4. सत्यनारायण मन्दिर के पास मुख्य मार्ग पर गड्ढा पाया गया, जिसे तत्काल भरवाया जाना होगा, अन्यथा की स्थिति में कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है।		
					5. सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है, जो तत्काल पूर्ण कराया जाना होगा।		
					6. सड़क के लेफ्ट साइड के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।		
			सत्यनारायण मन्दिर (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या)		1– मन्दिर से आगे तिराहे की ओर सड़क असमतल तथा ढलान वाली होने के कारण दुपहिया वाहनों के लिए संवेदनशील है। जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है।		सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अधिकेश का पत्रांक–1196/प्रवर्तन/ सा0सु0/2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा सम्बन्धित अपर लो0नि0वि0 अधिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।
19	देहरादून	एन0एच0ए0आई0 देहरादून	19 खण्डराव पुलिया रायवाला		1. रायवाला से आगे मुल्तान सेवा संस्थान की ओर जोन वाले मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण किया जाना आवश्यक है। सम्बन्धित स्थल पर नाली खुली होने के कारण कभी भी दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। निरीक्षण के दौरान लीड एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित स्थल पर अस्थाई व्यवस्था के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु ड्रम लगवाये गये।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / सा0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त म0म0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता म0म0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं अधिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 माता(क)–30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त
					2. सम्बन्धित स्थल घनी आबादी वाला क्षेत्र है अतः इस स्थल पर निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र से सम्बन्धित चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।		
					3. स्थल निरीक्षण के समय आस पास के निवासियों द्वारा लीड एजेन्सी को यह अवगत कराया गया कि रायवाला बाजार में शराब की दुकान होने के कारण सायंकाल 4–5 बजे से रात्रि तक अत्यधिक भीड़ होने व सड़क पर वाहनों को अनियंत्रित रूप से खड़ा करने के कारण दुर्घटनायें होती है, अतः दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु नियमित रूप से प्रवर्तन/पुलिस चेकिंग की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।		

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	देहरादून	एन0एच0ए0आई0 देहरादून	19 खण्डगांव पुलिया रायवाला		4. सम्बन्धित क्षेत्र के लगभग 800 मी0 मार्ग भाग पर जगह–जगह पर गड्ढे पाये गये जिससे दुर्घटना की सम्भावना बढ़ गयी है, जिन्हें तत्काल भराया जाना होगा।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–8553/प्रवर्तन / सा0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0म0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0म0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927/76 याता(क)–50/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
					5. सम्बन्धित स्थल पर सड़क जंक्शन का कार्य किया जाना आवश्यक होगा।		
					6. मुख्य मार्ग पर सीर ऊर्जा वाले पीले बिल्किर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।		
20	देहरादून	एन0एच0ए0आई0 देहरादून	20 मोतीचूर रायवाला (लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल निरीक्षण आख्या)		1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व गुलदार/हाथी कोरीडोर बोर्ड नहीं लगे पाये गये।		
					2. मुख्य मार्ग पर जगह–जगह गड्ढे पाये गये, जिन्हें तत्काल भरवाया जाना होगा।		
					3. सड़क के लेफ्ट साइड के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।		
					4. रेलवे फाटक से आगे पुल से पहले मार्ग के दोनों ओर पारक दिवार का निर्माण करते हुये सड़क का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है।		
					5. पुल भाग क्षेत्र में जगह–जगह पर गड्ढे पाये गये, जिन्हें पूर्ण किया जाना आवश्यक है।		
			मोतीचूर रेलवे क्रॉसिंग (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या)		1– मार्ग संकरा है फ्लाईओवर निर्माणाधीन है।मार्ग चौड़ीकरण किया जाना चाहिये। 2– मार्ग के दोनों ओर परावर्ती खम्भे लगाये जाने चाहिए।		सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋषिकेश पत्रांक–1196/प्रवर्तन/सा0सु0/2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
21	देहरादून	मसूरी खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश	21 आर0टी0ओ0 कार्यालय के पास, हरिद्वार बाईपास रोड		1. "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।	1. "दुर्घटना बाहुल क्षेत्र" का बोर्ड लगा दिया गया है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / सा0सु0 / 1-8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बसकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक–927 / 76 सा0सु(के) - उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियन्ता,ऋषिकेश का पत्रांक–210 / 1सी0 दिनांक 18.01.2018 को अनुपालन हेतु प्राप्त। अधीक्षण अभियन्ता,नाम वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक 650 / 76 सड़क सुरक्षा दिनांक 06.02 2018 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
					2. मार्ग पर 4 से 5 स्पलट स्ट्रिप का निर्माण किया गया है, जो आई0आर0सी0 की गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसे मानकों के अनुसार पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।	2. आडिटर के सुझाव पर ही कम लगाये गये है।	
					3. मार्ग पर निर्मित स्पलट स्ट्रिप दर्शनीय नहीं है। स्पलट स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से पेन्टिंग किया जाना आवश्यक है।	3. थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कर दिया गया है।	
					4. सड़क के लेखित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हैं व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	4. मार्ग को ठीक करा दिया गया है, परन्तु पूर्णतः ठीक कराया जाना अभी सम्भव नहीं है, क्योंकि मार्ग अर्त फेदर रोड के अर्न्तगत आ रहा है। जिससे इस मार्ग को चार लेन में चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र प्रस्तावित है। अतः अग्रेतर कार्यवाही एन0एच0आई0 द्वारा की जानी है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / वैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
22	देहरादून	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश	22 सात मोड, देहरादून ऋषिकेश (लीड एजेन्सी द्वारा दिनाक 02.11.2017 व 03.11.2017 का स्थल निरीक्षण आख्या)		1. ऋषिकेश की ओर से आने वाले वाहनों के लिए अ0मो0 मार्ग भाग पर रम्बल स्ट्रिप बनाया जाना आवश्यक है, ताकि मोड पर तीव्र गति से आने वाले वाहनों की गति को कम किया जा सके एवं दुर्घटना से बचा जा सके।	1. तीव्र मोड होने के कारण रोड सेफ्टी आडिटर श्री माण्डी गांगुली (LEA International Ltd. Canada) ने सुझाया था कि रम्बल स्ट्रिप ना बनाये जाय।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनाक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6563/उत्तर्न / ग0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त स0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता स0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927/78 मार्ग (क)–ग0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता,ऋषिकेश का पत्रांक–210/1सी0 दिनांक 18.01.2018 को अनुपालन हेतु प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–131/02/स0मा0–नि0–2/2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा डी0पी0आर0 रू0 246.78 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित। अधीक्षण अभियन्ता,नवम वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक 650/78 सड़क सुरक्षा दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
					2. सम्बन्धित स्थल पर हाथी कोरीडोर क्षेत्र है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।	2. हाथी कोरीडोर क्षेत्र है का बोर्ड लगा दिया गया है।	
					3. मन्दिर के पास यद्यपि 3 रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया गया है, जो आई0आर0सी0 की गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं बनाया गया है।	3. तीव्र मोड होने के कारण रोड सेफ्टी आडिटर श्री माण्डी गांगुली (LEA International Ltd. Canada) ने सुझाया था कि रम्बल स्ट्रिप ना बनाये जाय।	
					4. सम्बन्धित स्थल पर ओवरटेकिंग, ब्लाईण्ड मोड का बोर्ड नहीं लगा पाया गया, जो लगाये जाने आवश्यक है।	4. ओवरटेकिंग, ब्लाईण्ड मोड का बोर्ड लगा दिया गया है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / लैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
			साल मोड़ (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या)		1. वन विभाग से हाथी बाहुल्य क्षेत्र एवं वाहन धीरे चलाये का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 2. गतिसीमा के बोर्ड व रिफलेक्टर लगाये जाने अति आवश्यक है।	बोर्ड लगा दिये गये है।	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋषिकेशपत्रांक--1196/ प्रवर्तन / सम्यु0 / 2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा अस्थाई खण्ड लोनिवि0 ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।
23	देहरादून	अस्थाई खण्ड लोनिवि0 ऋषिकेश	23. काली मन्दिर देहरादून ऋषिकेश		1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। जिसे लगाया जाना आवश्यक है।	1. "दुर्घटना बाहुल क्षेत्र" का बोर्ड लगा दिया गया है।	[illegible]
24	देहरादून	एनएचए0 कोटद्वारा	24. काले की ढाल हरिद्वार रोड ऋषिकेश (लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल निरीक्षण आख्या)		1. सड़क पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" व हल्का मोड़ होने का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।	1. सड़क पर आगे तीव्र ढाल एवं मोड़ है, का बोर्ड लगा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-4550/प्रवर्तन / सम्यु0/1-6 (अ)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता एनएचए0 लोनिवि0 तथा अधिशासी अभियन्ता एनएचए0 लोनिवि0 कोटद्वार तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोनिवि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। अपर अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोनिवि0 उत्तराखण्ड का संख्या-587 / ने. [illegible] [illegible]/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता एनएचए0 खण्ड कोटद्वार का पत्रांक-797/1 सी0/दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।
					2. ऋषिकेश की ओर जाने वाले मार्ग पर ढाल से उतरने वाले वाहनों के लिये रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया जाना आवश्यक है।	2. रम्बल स्ट्रिप का कार्य कर दिया गया है।	
					3. मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण किया जाना आवश्यकक है।	3. मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण किया जा चुका है।	
					4. शास्त्री नगर की ओर जाने वाले लिंक मार्ग पर कौशन बोर्ड / क्रकर का निर्माण किया जाना आवश्यक है।	4. बोर्ड लगा दिये गये है।	
					5. मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा पीले बिलिकर के साथ दोनों ओर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	5. मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा पीले बिलिकर के साथ दोनों ओर चेतावनी के बोर्ड लगा दिये जायेंगे।	
					6. आबादी क्षेत्र होने के कारण निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	6. गति सीमा का बोर्ड लगा दिया गया है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
			काले की डाल (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस एवं निर्माण एजेन्सी द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या)		1. गति अवरोधक एवं साईन बोर्ड का होना आवश्यक है।		सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋषिकेश का पत्रांक–1196 / प्रवर्तन / स0सु0 / 2017 दिनांक 13.09.2017 द्वारा असवाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित।
25	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, सहारनपुर	25. भारद्वाज क्लीनिक के पास ऋषिकेश		1. रम्बल स्ट्रिप का निर्माण नहीं किया गया।	1. रम्बल स्ट्रिप का निर्माण किया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6563 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त राजमा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता राजमा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश का अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 धारा (क)–ख0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता राजमा0 खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757 / 1 सी0 / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।
					2. सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनों ओर टूटे हुये है व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके ।	2. सड़क के लेपित सतह के किनारे इन्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण किया जा रहा है।	
					3. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, घनी आबादी क्षेत्र, निर्धारित गति सीमा सम्बन्धी बोर्ड नहीं लगे पाये गये।	3. बोर्ड लगाने की कार्यवाही गतिमान है।	
					4. सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है।	4. उक्त स्थल पर लगभग 18 से 20 मी0 आर0ओ0डब्ल्यू0 उपलब्ध है।	
					4. सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है।	4. उक्त स्थल पर लगभग 18 से 20 मी0 आर0ओ0डब्ल्यू0 उपलब्ध है।	
26	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 सहारनपुर	26. छबील तिराहा सहारनपुर देहरादून		1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।	1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6563 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त राजमा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता राजमा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश का अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 धारा (क)–ख0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता राजमा0 खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757 / 1 सी0 / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।
					2. मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप पर पेन्ट नहीं होने के कारण रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय नहीं है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाना आवश्यक है। साथ ही सड़क पर सड़क विभाजित पट्टी बनाया जाना आवश्यक है।	2. मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप पर पेन्ट करा दिया गया है, जिस कारण रम्बल स्ट्रिप दर्शनीय है। अतः रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है।	
					3. लिंक रोड पर 8 रम्बल स्ट्रिप बने है जो आई0आर0सी0 की गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।	3. उक्त मार्ग सम्बन्धित खण्ड से नहीं है यह मार्ग सम्भावित निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून से सम्बन्धित है।	
					4. सम्बन्धित स्थान पर दोनों ओर की पेड़ की टहनियां सड़क पर फैली हुयी पायी गयी जिनकी कटिंग / लोपिंग किया जाना आवश्यक है।	4. पेड़ की टहनियों की कटिंग एवं लोपिंग के लिये वन विभाग को पत्र लिख दिया गया है। कृपया अपने स्तर से भी प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को निर्देशित करने की कृपा करें।	

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
27	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, डोइवाला	27. लाधा रोड तिराहा राहरसपुर		1. इस स्थल पर ब्लाक रोड में निर्धारित गति सीमा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया ।	1. निर्धारित गतिसीमा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / सा०सु० / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त (रा०म० लो०नि०वि० तथा अधिशासी अभियन्ता (रा०म०) लो०नि०वि० डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 यातायात (क)–30 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता (रा०म०) खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757 / 1 सी० / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।
					2. ब्लाक रोड पर रम्बल स्ट्रिप का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।	2. ब्लाक रोड पर रम्बल स्ट्रिप का बोर्ड लगा दिया गया है।	
					3.मुख्य मार्ग पर बने रम्बल स्ट्रिप में थर्मोप्लास्टिक पेन्ट नहीं किया गया ।	3. मुख्य मार्ग पर बने रम्बल स्ट्रिप में थर्मोप्लास्टिक पेंट करा दिया गया है।	
28		राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० डोइवाला	28. हरबर्टपुर बजार के पास		1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप नहीं पाये गये।	1. रम्बल स्ट्रिप बना दिये गये है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / सा०सु० / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त (रा०म०) लो०नि०वि० तथा अधिशासी अभियन्ता (रा०म०) लो०नि०वि० डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 यातायात (क)–30 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता (रा०म०) खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757 / 1 सी० / दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।
					2. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, हल्का मोड है, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।	2. इस स्थान पर "दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र" का सूचना पट लगा दिया गया है।	
					3. स्थल पर बजार के पास स्थित पेड़ की लोपिंग किया जाना आवश्यक है।	3. पेड़ की टहनियों की कटिंग एवं लोपिंग के लिये वन विभाग को पत्र लिख दिया गया है। कृपया अपने स्तर से भी प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को निर्देशित करने की कृपा करें।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
29	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	29 पर्याप्त चौक सहसपुर		1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, का बोर्ड नहीं लगा पाया गया।	1. बोर्ड लगा दिया गया है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / सा0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–827/76 यातां (क)–ता0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757/1 सी0/दिनांक 30.11.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–131/02/रा0मा0–नि0–2/2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा डी0पी0आर0 रू0 622.06 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।
					2. स्थल स्ट्रिप नहीं बनाये गये।	2. स्थल स्ट्रिप बना दिये गये है।	
					3. सम्बन्धित स्थल पर चौक के पास स्थित पेड़ को हटाया जाना आवश्यक है।	3. सम्बन्धित स्थल पर पेड़ हटाने हेतु वन विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। कृपया अपने स्तर से भी प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को निर्देशित करने की कृपा करें।	
					4. चौक का विभाजन कर जंक्शन बनाया जाना आवश्यक है। जिससे दुर्घटना होने से रोका जा सके।	4. DPR sent	
					5. सम्बन्धित स्थान पर जिला पंचायत देहरादून द्वारा लदान, ढुलान शुल्क वसूल करते हुये पाये गये, जिनके द्वारा सड़क के दोनों ओर बैक पोस्ट स्थापित कर अस्थाई बेरियर सड़क पर रखे गये है, जिस कारण भारी वाहनों के खड़े होने से अन्य वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से स्थापित बैक पोस्ट को हटाया जाना आवश्यक है।	5. सम्बन्धित स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से स्थापित बैक पोस्ट को हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। कृपया अपने स्तर से भी जिला पंचायत विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।	
30	देहरादून	एन0एच0	30 कुल्हान से पहले पावर हाउस मोड़ विकासनगर		1. सम्बन्धित स्थल पर स्थल स्ट्रिप नहीं बनाये गये है।	1. स्थल स्ट्रिप लगा दिये गये है।	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / सा0सु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–827/76 यातां (क)–ता0/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड डोईवाला का पत्रांक–757/1 सी0/दिनांक 30.11.2017
					2. मुख्य मार्ग पर विभाजन पट्टी का निर्माण नहीं किया गया ।	2. सम्बन्धित स्थल पर विभाजन पट्टी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	
					3. सम्बन्धित स्थल पर तीव्र मोड़ ढलान क्षेत्र है। अतः इस स्थल पर स्थल स्ट्रिप, कैट आईज स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।	3. स्थल स्ट्रिप एवं कैट आईज लगा दिये गये है।	
					4. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा का बोर्ड नहीं लगा पाया गया है जिसे लगाया जाना आवश्यक है।	4. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है।	

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
31	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट	31 लेडमन पुल के पास विकासनगर		1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट नहीं लगा पाया गया।	1. सम्बन्धित स्थल पर रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट दोनों ओर लगा दिये गये है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6550 / प्रवर्तन / स०सु० / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वा वृत्त रा०मा० लो०नि०वि० तथा अधिशासी अभियन्ता रा०मा० लो०नि०वि० डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 वाला (क)–30 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, बड़कोट का पत्रांक–2530 / 2 वी० / दिनांक 06.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।
					2. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का चेतावनी बोर्ड नहीं लगा पाया गया।	2. चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है।	
					3. सम्बन्धित स्थल पर पेड़ों की लोपिंग / कटिंग की जाना आवश्यक है।	3. सम्बन्धित स्थल पर पेड़ों की लोपिंग / कटिंग करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण विभाग, कालसी देहरादून को पत्र सं० कैम्प–मेमो–23 बी० दिनांक 15.11.2017 को अवगत करा दिया गया है।	
					4. सड़क के किनारे लगे विद्युत पोल को हटाया जाना आवश्यक है।	4. सड़क किनारे पर विद्युत पोल हटाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० विकास नगर देहरादून को पत्र सं० कैम्प–मेमो–22बी० दिनांक 15.11.2017 को अवगत करा दिया गया है।	
					5. सड़क के किनारे दोनों ओर अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है।	5.सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को एक सप्ताह के अन्दर अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस भेजे गये है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
32	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट	32 बाईट एन्जल स्कूल लाईन जीवनगढ़		1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आगे स्कूल है, का बोर्ड नही लगा पाया गया।	1. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया गया है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रार्थना / रा0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नाम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 धारा (क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, बड़कोट का पत्रांक–2530 / 2 सी0 / दिनांक 06.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।
					2. स्पाट स्ट्रिप दर्शनीय नही है, जिन पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाना आवश्यक है।	2. स्पाट स्ट्रिप साईन बोर्ड एवं थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कर दिया गया है। थर्मोप्लास्टिक पेन्ट द्वारा एज लाईन,सेन्टर लाईन, जेब क्रोसिंग आदि का कार्य करा दिया गया है।	
					3. बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल के गेट के पास निर्मित बरसाती नाले को कवर किया जाना आवश्यक है, तथा सड़क का कच्चा भाग सड़क के लंबित स्थल से काफी नीचा है जिसको सड़क की सतह तक समान किया जाना आवश्यक है। तथा उक्त सड़क पर गड्ढों को भरा जाना भी आवश्यक है।	3. कार्य पूर्ण करा दिया गया है।	
					4. स्कूल के दूसरी ओर दुन वैलिंग द्वारा मार्ग पर समान ईंट / बजरी एकत्रित कर अतिक्रमण किया गया, जो दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है जिसे हटाया जाना आवश्यक है।	4. सम्बन्धित व्यक्ति को एक सप्ताह के अन्दर अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र सं0 कैम्प–सेमी–12बी0 दिनांक 15.11.2017 के द्वारा नोटिस भेजा गया है।	
					5. सम्बन्धित स्थल पर पैरापिट वॉल बनाया जाना आवश्यक है।	5. पैरापिट वॉल बना दी गयी है।	
					6. सम्बन्धित मार्ग पर स्थान स्थान पर नगर पालिका द्वारा बोर्ड लगाये गये है, जो दुर्घटना के कारण बन सकते है, जिन्हे हटाया जाना आवश्यक है।	6. रा0मा0 पर नगर पालिका द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स को हटाने हेतु पत्र सं0 – सेमी0–21 बी0 दिनांक 15.11.2017 के द्वारा सूचित किया गया है।	
					7. श्री पंकज अग्रवाल, ग्राम प्रधान, जीवनगढ़, मो0 नं0 9927675842 द्वारा लीड एजेन्सी को यह अवगत कराया गया कि जीवनगढ़ क्षेत्र में सड़क के किनारों पर व्यवसायियों द्वारा अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने पर समय–समय पर दुर्घटनायें घटित हो रही है, उनके द्वारा जन सुरक्षा की दृष्टी से अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। अतः लीड एजेन्सी का सुझाव है कि निकास नगर क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु जिला प्रशासन पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान संचालित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।	7. रा0मा0 के किनारों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भेज दिये गये है, साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किये गये है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
33	देहरादून	एन0एच0	33. अम्बाडी मोड डाक पत्थर		1. सम्बन्धित स्थल पर मुख्य मार्ग पर सौर ऊर्जा से संचालित पीला बिलिकर व कैट आई लगाये जाने की आवश्यकता है।	1. उक्त स्थान पर सौर ऊर्जा संचालित पीला बिलिकर एवं कैट आई लगा दी गयी है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6560/प्रवर्तन / स0मु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 15 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता पथ पूर्व राज्य लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता स0म0 लो0नि0वि0 कोटद्वार, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–827/76 राज्य (अ)–30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता स0म0 खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट का पत्रांक–2530/2 सी0/दिनांक 06.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।
					2. लिंक मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप के साथ थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराये जाने की आवश्यकता है।	2. लिंक मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप के साथ थर्मोप्लास्टिक पेन्ट करा दिया गया है।	
					3. सडक के किनारे पर अनाधिकृत रूप से सब्जी की दुकाने लगायी गयी है, जिनसे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है जिन्हे हटाया जाना आवश्यक है।	3. अनाधिकृत रूप से लगाई दुकानों को हटाने हेतु नोटिस भेजा गया है।	
					4. सम्बन्धित मार्ग पर पेडो की लॉपिंग किया जाना आवश्यक है।	4. पेडो की लॉपिंग हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कालसी को पत्र प्रेषित किया गया है।	
34	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट	34. यमुना पुल मोड बाडवाला विकासनगर		1. यमुना पुल से पूर्व बाडवाला की ओर रम्बल स्ट्रिप बनाया जाना आवश्यक है।	1. रम्बल स्ट्रिप बना दी गयी है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 02.11.2017 व 03.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6563/प्रवर्तन / स0मु0/1–8 (34)/2017 दिनांक 15 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता पथ पूर्व राज्य लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता स0म0 लो0नि0वि0 कोटद्वार, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–827/76 राज्य (अ)–30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता स0म0 खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट का पत्रांक–2530/2 सी0/दिनांक 06.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।
					2. निर्धारित गति सीमा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आगे मोड है का चेतावनी बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	2. निर्धारित गतिसीमा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आगे मोड है का चेतावनी बोर्ड लगा दिये गये है।	
					3. पुल से पूर्व लिंक मार्ग पर सौर ऊर्जा संचालित पीला बिलिकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	3. बिलिकर लगा दिये गये है	
					4. राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के 0.00 किमी0 से 16.00 किमी0 तक मार्ग के किनारे पर स्थित वृक्ष जो मार्ग को बाधित कर रहे है की लॉपिंग करायी जानी आवश्यक है।	4. रा0मा0–123(507) के किमी0 0.00 से 16.00 तक मार्ग के किनारे पर परिवहन मे बाधक वृक्षों की लॉपिंग हेतु प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण विभाग कालसी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।	
					5. मार्ग पर परिवहन हेतु अवरोधक बने विद्युत पोल शिफ्टिंग हेतु कार्यवाही की जानी आवश्यक है।	5. रा0मा0 पर सुरक्षित यातायात हेतु अवरोध बने विद्युत पोल हटाने जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विकासनगर देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।	
					6. नगर पालिका विकास नगर एवं नगर पंचायत हर्बटपुर के द्वारा रा0मा0 पर लगाये गये होर्डिंग्स जो यातायात में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है, को हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।	6. रा0मा0 पर लगाये गये होर्डिंग्स को हटाने हेतु नगर पालिका विकास नगर एवं नगर पंचायत हर्बटपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।	
					7. राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो ओर स्थानीय व्यापारियों द्वारा एकत्र किये गये ईंट, पत्थर, सरिये एवं दुकानों का सम्मान हटाये जाने हेतु पत्र कार्यवाही।	7. रा0मा0 के दोनो ओर स्थानीय व्यापारियों द्वारा किए गये अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु नोटिस भेजे गये है साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।	

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / मैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
35	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	35. सेन्ट जूड चौराहा		1. मिडियन के कार्नर व मार्ग के लेपित सतह व डिवाइडर क्षतिग्रस्त पाया गया।	1. मिडियन के कार्नर व मार्ग के लेपित सतह व डिवाइडर पर मरम्मत करा दी गयी है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6563 / प्रवर्तन / सा0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता सा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 खाता (क)–30 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–131 / 02 / रा0मा0–नि0– 2 / 2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा डी0पी0आर0 रू0 60.15 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।
					2. यातायात संचालन हेतु स्थापित इलैक्ट्रिक लाईट कार्यरत नहीं पायी गयी जिन्हें ठीक करवाये जाने की आवश्यकता है।	2. पुलिस विभाग द्वारा की जानी है।	
					3. टान्सपोर्ट नगर व मेहूवाला की ओर दोनों साइड पर रम्बल स्ट्रिप / कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है।	3. रम्बल स्ट्रिप एवं कैट आईज लगा दी गयी है।	
					4. सम्बन्धित स्थान पर यातायात नियन्त्रण हेतु नियमित पुलिस कर्मी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है।	4. पुलिस विभाग द्वारा की जानी है।	
					5. मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग किये जाने की आवश्यकता है।	5. थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग करा दी गयी है।	
36	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	36. अन्ना हजारे चौक		1. लेपित सतह का किनारा क्षतिग्रस्त है, जिसको पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।	1. मरम्मत करा दी गयी है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6563 / प्रवर्तन / सा0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 खाता (क)–30 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
					2. लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर के साथ कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है।	2. स्पीड ब्रेकर एवं कैट आईज लगा दी गयी है।	
					3. मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का बिलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	3. सौर उर्जा से संचालित पीले बिलिंकर लगा दिये गये है।	
					4. सड़क से सटे बिजली के खम्भों को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता है।	4. कार्यवाही विद्युत विभाग द्वारा की जानी है।	
					5. अन्ना हजारे चौक से तेलपुर चौक तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर पटरियों पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो गयी है अतः स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने की आवश्यकता है।		

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
37	देहरादून	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	37. तेलपुर चौक		1. सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर आबादी क्षेत्र है। अतः गति सीमा व दुर्घटना सम्भावित चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।	1. गतिसीमा व दुर्घटना सम्भावित चेतावनी बोर्ड लगा दिये गये है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553/प्रवर्तन / स०सु०/1–8 (34)/2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा०म०मा० लो०नि०वि० तथा अधिशासी अभियन्ता रा०म०मा० लो०नि०वि० डोईवाला, बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड का पत्रांक–927/76 यातायात (क)–30/2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड का पत्रांक–131/02/रा०म०मा०–नि०–2/2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा डी०पी०आर० रू० 387.06 लाख का सहित कर शासन को प्रेषित।
					2. इनर कर्व पर राकेश ऑटो रिपेयर द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया गया है। जिसे हटाया जाना आवश्यक है।		
					3. मुख्य मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का बिलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	3. बिलिंकर लगा दिये गये है।	
					4. सड़क व रम्बल स्ट्रिप पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से सड़क मार्किंग की आवश्यकता है।	4. रम्बल स्ट्रिप का निर्माण एवं रोड मार्किंग करा दी गयी है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
38	देहरादून	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून	38. रानपुर ब्रीज		1. सम्बन्धित स्थल पर दोनों ओर आबादी क्षेत्र है। अतः निर्धारित गति सीमा व दुर्घटना सम्भावित चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।	1. बोर्ड लगा दिये गये है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–9 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डांडीवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं अधिकोश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 याता (क)–30 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–131 / 02 / रा0मा0–वि0–2 / 2017 दिनांक 02.02.2018 द्वारा डी0पी0आर0 रू0 510.16 लाख का गठित कर शासन को प्रेषित।
					2. लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर व मुख्य मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप, कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है।	2. कार्यवाही कर दी गयी है।	
					3. सड़क पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट की मार्किंग दृष्टिगोचर नहीं है। पुनः सड़क मार्किंग की आवश्यकता है।	3. थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से रोड मार्किंग कर दी गयी है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	देहरादून	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून	39. चांदनी चौक		1. मुख्य मार्ग पर स्थल स्ट्रिप व दोनो ओर लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	1. स्थल स्ट्रिप बना दिये गये है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6553 / प्रवर्तन / म0सु0 / 1–8 (34) / 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 10वां वृत्त रा0मा0 लो0नि0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 डाईवाला, बडकोट तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून एवं ऋषिकेश को अनुपालन हेतु प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–927 / 76 यातायात (क)–उ0 / 2017 दिनांक 21.11.2017 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित। अनुपालन आख्या की सूचना अप्राप्त।
					2. मुख्य मार्ग पर दोनो ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का बिलिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	2. बिलिंकर लगा दिये गये है।	
					3. दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र के दोनो ओर चेतावनी बोर्ड से निर्धारित गति सीमा के साईन बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।	3. बोर्ड लगा दिए गये है।	
40.	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	40. ब्लू स्टोन लण्डौर स्कूल के पास के पास		1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड नही लगाये गये है।	1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगा दिये गये है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–770 / प्रवर्तन / म0सु0 / 1–8 (34) / 2018 दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून को प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–240 / 76 यातायात (क)–उ0 / 2017 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।
					2. मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग नही कराया गया है।	2. थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग करा दिया गया है।	
					3. यह मार्ग बन्दी सड़क है। सड़क का चौड़ीकरण कराया जाना आवश्यक है।	–	
					4. सड़क के दोनो ओर स्थल स्ट्रिप कैट आई के साथ स्थापित किये जाने की आवश्यकता है तथा स्कूली बच्चों के लिये जेब्रा क्रासिंग मार्किंग किये जाने की आवश्यकता है।	4. लगा दिये गये है।	
					5. कुछ स्थानो पर अतिक्रमण भी किया गया है। जिसको हटाये जाने की आवश्यकता है।	–	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
41	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	41. किमोई/कफलानी के पास		1. किमोई के पास तीव्र मोड़ है। स्पीड ब्रेकर के साथ गति अवरोधक लगाये जाने की आवश्यकता है, तथा नीचे की तरफ मन्दिर तक दीवार लगाकर सड़क का चौड़ीकरण किया जाने की आवश्यकता है।	1. कार्य करा दिया गया है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–770/प्रवर्तन/स0सु0/1–8 (34)/2018 दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून को प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड का पत्रांक–240/76 यातायात (क)–उ0/2017 दिनांक 23.02.2018 द्वारा अनुपालन हेतु प्रेषित।
					2. निर्धारित गति सीमा के बोर्ड नहीं लगाये गये है। दुर्घटना सम्भावित बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।	2. गतिसीमा व दुर्घटना सम्भावित बोर्ड लगा दिये गये है।	
					3. कफलानी में दोनो ओर स्पीड ब्रेकर कैट आई के साथ गति अवरोधक लगाये जाने की आवश्यकता है।	3. लगा दिये गये है।	
					4. आबादी क्षेत्र व दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र के बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे क्रॉस बैरियर लगे है, लेकिन जहां पर क्रॉस बैरियर नहीं है उन स्थानों पर डेलीनेटर लगाये जाने की परम आवश्यकता है।	4. लगा दिये गये है।	
42	देहरादून	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	42. मसराना (महारानी सुण्याखोली से पहले)		1. कुछ स्थानों पर पेलीफिट व क्रॉस बैरियर लगाये जाने की आवश्यकता है। निर्धारित गतिसीमा के बोर्ड व दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।	1. लगा दिये गये है।	
					2. सड़क के पास मंगल सिंह असवाल की दुकान है व जगत सिंह असवाल का मकान निर्माणाधीन है जो अतिक्रमण प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।	2. कार्यवाही की जा रही है।	

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
43	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	43. दूधाधारी चौक		1. सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया ।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15.02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–998/फ्लाईओवर / स0सु0/1–8 (34)/2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0 को भी प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–305/76बाला (क)–सं0/2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0 देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0,देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वी वृत्त, देहरादून को तद्नुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
					2. देहरादून की ओर मार्ग पर ब्लैक टीप नहीं पाया गया।		
					3. निर्माणाधीन फ्लाई ओवर के नीचे कम्पनी की अनावश्यक निर्माण सामग्री पड़ी हुयी है जिसके कारण दुर्घटना होने की सम्भावना है। अतः सामग्री को हटाकर एक सर्विस लेन का निर्माण किया जा सकता है।		
					4. दूधाधारी चौक से बाजार की ओर पैदल पथ मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक मार्किंग अदृश्य है।		
					5. हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।		
44	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Najibabad)	44. चण्डी चौक		1. सड़क पर पी.डी.करण का कार्य गतिमान है। हरिद्वार में यात्रा के दौरान एवं कावड़ मेले में पूर्व चण्डी घाट चौक पर यातायात के दबाव को कम करने व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलकनन्दा होटल के सामने से यू टर्न बनाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया है।		
					2. निर्धारित गति सीमा का बोर्ड, रोड मार्किंग पेन्ट एवं चण्डी घाट चौक पर कंस्ट्रक्शन साईट पर डेलीनेटर लगाये जाने की आवश्यकता है।		
45	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	45. शंकराचार्य चौक		1. लिंक रोड ग्राम जोगी एवं कनखल मार्ग पर ब्लिंकर व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड, रम्बल स्ट्रिप लगाये जाने की आवश्यकता है।		
46	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	46. जानकी डेल		1. यातायात के दबाव को कम करने हेतु कनखल से आने व जाने वाले वाहनों के लिये यूटर्न बनाये जाने की आवश्यकता है।		
					2. मार्ग पर कनखल की ओर ब्लिंकर व रम्बल स्ट्रिप तथा हाईवे पर निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।		
47	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	47. सिद्धबाड़		1. प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि फ्लाईओवर का कार्य लगभग 02 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया गया है। कनखल की ओर से आने वाले मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप व ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।		
48	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	48. गुरूकुल कांगड़ी		1. सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़क के दोनों ओर निर्धारित गति सीमा के बोर्ड तथा थर्मोप्लास्टिक पेन्ट मार्किंग से स्पीड ब्रेकर बनाये जाने की आवश्यता है।		

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
49	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	49. हरिलोक तिराहा		1. सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य गतिमान है। निर्धारित गतिसीमा के बोर्ड तथा हरिलोक की ओर से आने वाले मार्ग पर ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15.02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–998/प्रवर्तन / स0मु0/1–8 (34)/2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0 को भी प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–305/76याता (क)–उ0/2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0 देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर एन0एच0ए0आई0,देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्त, देहरादून को तद्नुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
					2. बालावुर की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिये ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।		
50	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	50. रानीपुर ब्राज		1. सम्बन्धित स्थान पर पुल से आगे व पीछे क्रैश बैरियर लगाये जाने की आवश्यकता है।		
					2. बहादराबाद की ओर कर्व पर डेलीनेटर तथा थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से रोड मार्किंग की आवश्कता है।		
					3. निर्धारित गतिसीमा का बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।		
					4. नहर की ओर से आने वाले लिंक मार्ग पर ब्लिंकर व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है।		
51	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	51. शनिदेव मन्दिर		1. सम्बन्धित स्थान पर फोरलेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मन्दिर के दोनों ओर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट, रोड मार्किंग व स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है।		
					2. निर्धारित गतिसीमा व चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।		
52	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	52. शल्कर रोड		1. लिंक मार्ग को सर्विस लेन से जोड़ते हुये 200 मी0 आगे मुख्य मार्ग पर मिलाये जाने से यहां पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।		
					2. लिंक मार्ग पर ब्लिंकर व निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता है।		
53	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	53. मलकपुर चुंगी		1. यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण किया गया है। सम्बन्धित स्थल पर नगर निगम द्वारा प्रचार बोर्ड लगाये जाने से सड़क और ज्यादा संकरी हो गयी है। अतः इस स्थान पर निरन्तर अतिक्रमण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।		
					2. अतिक्रमण मुक्त कर सड़क की चौड़ाई दोनों ओर 2-2 मीटर बढ़ाकर ब्रीज टॉप किया जा सकता है। नगर पालिका की ओर जाने वाले यातायात को डिवाईडर बनाकर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।		
					3. नगर निगम की ओर आने वाले यातायात के लिये ब्लिंकर एवं स्पीड ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है।		

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
54	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	54 मिस्टिरी चौक		1. मार्ग के दोनो ओर की पटरियों को चौड़ीकरण कर मार्ग की कैरिज–वे की चौड़ाई बढ़ाते हुये मार्ग के बीच मे डिवाईडर बनाकर यातायात को नियन्त्रित किया जाय। दोनो ओर मार्ग पर बिनकर व रोड साईनेज लगाया जाय।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15.02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–998 / प्रवर्तन / स0मु0 / 1–8 (34) / 2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0 को भी प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–305 / 78याता (क)–उ0 / 2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0 देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0,देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्त, देहरादून को तद्नुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
55	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0 (उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन)	55 संतोष गुरुग पेट्रोल पम्प से कस्बा औरंगजेबपुर तक		1. मार्ग के दोनों ओर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग की जाय। दोनो ओर डेलीनेटर लगाये जाय तथा कॉस्न बोर्ड व स्पीड लीमिट का बोर्ड लगाया जाय।		
56	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	56. मडावा (एन0एच0 - 73 किमी0–25.100)		1. फोरलेन कार्य प्रगति पर है। स्पीड लिमिट तथा कार्य प्रगति पर है, का बोर्ड लगाया जाय।		
57	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	57. पुहाना (एन0एच0 - 73 किमी0–13)		1. दोनो लिंक मार्ग पर स्पीड ब्रेकर पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाय। बिनकर व स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय।		
58	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	58. नारसन (एनएच-58)		1. तिराहे से पूर्व लिंक रोड पर 8–10 से मे बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर बनाया जाय। बिनकर बनाये जाने की आवश्यकता है तथा स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय, 0 तिराहे के पास पैदल यात्रियों हेतु जेब्रा क्रोसिंग बनाया जाय।		
59	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	59. शुगर मिल से शिवार हेडी		1. स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। पैरापेट पर पेन्ट किया जाय तथा थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट मार्ग के दोनो ओर लगाये जाय।		
60	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0.	60. देवचन्द तिराहा		1. लिंक मार्ग पर बिटुमिनस 8–10 से मे स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिनकर बनाये जाय व स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाये जाय।		
61	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0. (PIU-Dehradun)	61. देवचन्द तिराहा से कस्बा मार्केट		1. सम्बन्धित स्थान पर दायीं ओर नवनिर्मित पुल पर यातायात डायवर्ट करने हेतु रोड साइनेज लगाया जाय। थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट लगाया जाय।		
					2. मार्ग पर अवस्थित अतिक्रमण से दुर्घटना घटित होने की सम्भावना के दृष्टिगत अतिक्रमण को हटाते हुये सर्विस लेन का कार्य पूर्ण किया जाय।		

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
62	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0, (PIU-Dehradun)	62. शिकारीवाला पीर से दीपशिखा		1. सम्बन्धित लिंक मार्ग पर 08 से मे बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर लगाये जाय। सर्विस लेन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। लिंक रोड पर स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय तथा थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट कराया जाय।		लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 15.02.2018 को स्थल का निरीक्षण किया गया, तथा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–998 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (34) / 2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0 को भी प्रेषित किया गया। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के पत्रांक–305 / 78/वाहन (क)–30 / 2018 दिनांक 19 फरवरी 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0 देहरादून एवं रीजनल ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0,देहरादून को अनुपालन हेतु प्रेषित तथा प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं वृत्त, देहरादून को तद्नुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित।
63	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0 (PIU-Dehradun)	63. डबल फाटक ओवर ब्रिज मोहनपुरा		1. दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत की जाए। रोड साईनेज व थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से मार्किंग की जाय।		
64	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0, (PIU-Najibabad)	64. शिरडी पुल		1. सम्बन्धित मार्ग पर कॉशनबोर्ड / स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाय। थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट तथा डेलीनेटर्स लगाये जाय।		
65	हरिद्वार	एन0एच0 (रूड़की)	65. बिरला फैक्ट्री से शनिदेव मन्दिर के मध्य		1. लिंक मार्ग पर स्पीड लिमिट व रोड साईनेज का बोर्ड लगाया जाय तथा स्पीड ब्रेकर पर थर्मोप्लास्टिक मार्किंग की जाय।		
66	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0, (PIU-Najibabad)	66. रसिया बड		1. हाथी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बन्धित मार्ग पर बिटुमिनस के 8–10 से मे स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साईनेज के बोर्ड लगाये जाय।		
67	हरिद्वार	एन0एच0ए0आई0, (PIU-Najibabad)	67. गैण्डी खाता		1. हाथी बाहुल्य क्षेत्र के कारण दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्बन्धित मार्ग के दोनों ओर सोल्डर्स को फिनिंग द्वारा लेवल करते हुए स्पीड ब्रेकर बनाया जाय तथा स्पीड लिमिट व रोड साईनेज के बोर्ड लगाये जाय।		

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम / चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
68		पौड़ी	68. चमधार के पास फरासू		1- सम्बन्धित स्थल पर तीव्र ढलान व मोड़ होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। अतः ढलान पर जाने वाले वाहनों हेतु सड़क के आधे भाग पर बेकर बनाये जाने की आवश्यता है। 2- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र / तीव्र मोड़ है / निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। 3- मार्ग पर दोनों ओर सौर ऊर्जा से संचालित पीले रंग का रिफ्लेक्टर लगाये जाने की आवश्यकता है। 4- कैट आई युक्त रम्बल स्ट्रिप लगाया जाना होगा।	चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770 / प्रवर्तन / दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965 / 76 यातायात (क)-30 / 2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक-1242 / 1सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।
69	टिहरी गढ़वाल	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड	69. तोतापानी		1- सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगाया गया। 2- सड़क के लंबित सतह के पहाड़ की ओर के किनारे टूटे है व कच्चा भाग सड़क से नीचे है जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 3- मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेन्ट दर्शनीय नहीं पाया गया। 4- सम्बन्धित स्थल पर मार्ग की चौड़ाई मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। 5- आगे तीव्र ढलान है का बोर्ड नहीं लगा पाया गया है। 6- वाहनों के अधिक ओवरहेड की स्थिति में पहाड़ पर टकराने की आशंका है। अतः पहाड़ी का कटाव कराया जाना आवश्यक है। ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को रोक जा सके। 7- दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सौरऊर्जा संचालित पीले रंग का रिफ्लेक्टर व कैटआई युक्त रम्बल स्ट्रीप लगाया जाना आवश्यक है। 8- निर्धारित गतिसीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770 / प्रवर्तन / दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965 / 76 यातायात (क)-30 / 2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक-1242 / 1सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
70			70. साकनीधार		1- सड़क पर उबड़-खाबड़ होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना हो सकती है। अतः मार्ग पर ब्लैक टॉप कराया जाना आवश्यक है। 2- मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग नहीं कराया गया है। 3- सम्बन्धित स्थल पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया है, जो लगाया जाना आवश्यक है। 4- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	कार्यवाही पूर्ण। ब्लैक स्पॉट का Long Term Measure भी पूर्ण।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 27.02.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965/76 याता (क)-30/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक-1242/ 1सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा
71			71. तीनधारा		1- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा पाया गया। 2- मार्ग पर थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग नहीं की गई है। 3- हैजर लाईन नहीं बनाई गयी है। 4- डिनेटर लगाये जाने की आवश्यकता है। 5- कार्य से 100 मी0 आगे पीछे पानी की निकासी बन्द नहीं पायी गयी, जिसे ठीक कराया जाना आवश्यक होगा। 6- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 27.02.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965/76 याता (क)-30/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित।
72			72. मूल्यागाव		1- सड़क की चौड़ाई मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। 2- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड लगा पाया गया। 3- रम्बल स्ट्रिप नहीं बनाये गये है 4- मुख्य मार्ग पर दोनो ओर शोर उर्जा के संचालित पीले रंग का बिलकर लगाये जाने की आवश्यकता है। 5- मार्ग पर कैट आईज लगाये जाने की आवश्यकता है। 6- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना होगा।	चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965/76 याता (क)-30/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक-1242/ 1 सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।

क्रम सं०	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम/चैनेज	मार्ग का नाम व श्रेणी	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का विवरण	दुर्घटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण हेतु लीड ऐजेन्सी (रोड सेफ्टी) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
73			73. जुधालगढ़ पुलिया		1- सम्बन्धित सीटि पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र का बोर्ड नही लगा पाया गया । 2- पुलिया सकरी होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना बन सकती है। 3- सम्बन्धित स्थल पर पेन्ट दृष्टिगोचर नही है, जो सम्भावित दुर्घटना का कारण हो सकता है। अतः थर्मोप्लास्टिक पेन्ट कराया जाय। 4- डिनेटेटर/विलिंकर लगाये जाने की आवश्यता है। 5- सड़क के लेपित सतह के किनारे दोनो और टूटे है, व कच्चा भाग सड़क से काफी नीचे है, जो सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, अतः कच्चे भाग को सड़क की सतह तक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 6- निर्धारित गति सीमा का बोर्ड लगाया जाना होगा।	चार धाम परियोजना के अन्तर्गत पहाड़ कटान कर चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।	लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड का निरीक्षण आख्या पत्रांक-6770/प्रवर्तन/दिनांक 29.11.2017 द्वारा प्राप्त। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक-965/76 बाता (क)-उ0/2017 दिनांक 01.12.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता को अनुपालन हेतु प्रेषित। अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक-1242/ 1सी0 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्राप्त।

अ०अभि० स्तर-II (मु०)